मंथली पॉलिसी रिव्यू

दिसंबर 2023

इस अंक की झलकियां

संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर, 2023 से 21 दिसंबर, 2023 तक संचालित किया गया

10 बिल पेश और 17 बिल पारित किए गए, जिनमें आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य एक्ट को बदलने वाले तीन बिल और दूरसंचार क्षेत्र को रेगुलेट करने वाला बिल शामिल है।

संसद ने तीन आपराधिक कानूनों का स्थान लेने वाले बिल पारित किए

ये बिल पहले के कानूनों के अधिकांश प्रावधानों को बरकरार रखते हैं। वे आतंकवाद जैसे नए अपराधों को संहिताबद्ध, जमानत और हिरासत संबंधी प्रावधानों में संशोधन और इलेक्ट्रॉनिक सबूत को प्राथमिक सबूत के रूप में वर्गीकृत करते हैं।

संसद ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को रेगुलेट करने वाला बिल पारित किया

चुनाव आयुक्तों का चयन एक चयन समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे।

संसद ने दूरसंचार बिल पारित किया

यह बिल दूरसंचार क्षेत्र को रेगुलेट करता है। यह स्पेक्ट्रम के आवंटन तथा जरूरी अनुमोदन की प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है, और सरकार को दूरसंचार को इंटरसेप्ट करने की अनुमति देता है।

सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का फैसला बरकरार रखा

अदालत ने इस अनुच्छेद को एक अस्थायी प्रावधान बताया। उसने चुनाव आयोग को सितंबर 2024 से पहले जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराने के लिए आवश्यक कदम उठाने का भी निर्देश दिया।

संसद ने जम्मू कश्मीर से संबंधित बिल पारित किए

ये बिल विधानसभा में कुल सीटों को 83 से बढ़ाकर 90 करते हैं, विधानसभा में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करते हैं, और 'कमजोर और वंचित वर्गों' के लिए आरक्षण को 'अन्य पिछड़े वर्गों' से बदलते हैं।

इरडाई ने बीमा उत्पादों के लिए ड्राफ्ट रेगुलेशन जारी किए

ड्राफ्ट रेगुलेशन ग्राहकों की जोखिम कवरेज की जरूरतों और समझने में सरल उत्पादों की पेशकश जैसे पहलुओं पर विचार करके बीमा उत्पादों को डिजाइन करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं।

रणनीतिक खनिजों के लिए निजी अन्वेषण एजेंसियों से संबंधित योजना की घोषणा की गई

इस योजना में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित निजी अन्वेषण एजेंसियों की सामान्य शर्तों और भागीदारी के तरीके और महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की खोज के लिए वित्त पोषण से संबंधित प्रावधान हैं।

2023-24 की दूसरी तिमाही में चालू खाता घाटा जीडीपी का 1%

2023-24 की दूसरी तिमाही में चालू खाता घाटा 2022-23 की इसी तिमाही में दर्ज जीडीपी के 3.8% से काफी कम था।

स्टैंडिंग कमिटी ने आयुष्मान भारत पर रिपोर्ट सौंपी

कमिटी ने योजना पर बजटीय आवंटन बढ़ाने, योजना के भीतर आबादी के व्यापक वर्गों को शामिल करने और अस्पतालों की एक विस्तृत श्रृंखला को सूचीबद्ध करने जैसे उपायों का सुझाव दिया।

2 जनवरी, 2024

PRS Legislative Research ▪ Institute for Policy Research Studies
3rd Floor, Gandharva Mahavidyalaya ▪ 212, Deen Dayal Upadhyaya Marg ▪ New Delhi – 110002
Tel: (011) 23234801, 43434035 ▪ www.prsindia.org

स्टैंडिंग कमिटी ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर रिपोर्ट सौंपी

कमिटी ने फेम योजना का विस्तार करने, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करने और ईवी पर आगे कर रियायतें प्रदान करने जैसे उपायों का सुझाव दिया।

लॉजिस्टिक्स और शिपिंग पर विजन दस्तावेज़ जारी

दस्तावेज़ समुद्री लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र के विकास के लिए लक्ष्य-आधारित पहल को चिन्हित करता है। इन्हें 2047 तक हासिल करना है, और इसमें कार्बन तटस्थ बंदरगाह और सभी बंदरगाहों को जस्ट-इन-टाइम आगमन वाले बंदरगाहों में बदलना शामिल है।

संसद

Arpita Mallick (arpita@prsindia.org)

शीतकालीन सत्र 2023 समाप्त: आपराधिक सुधार कानून पारित

संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर, 2023 से 21 दिसंबर, 2023 तक संचालित किया गया। संसद 14 दिनों तक चली और निर्धारित अवधि से एक दिन पहले अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई।

सत्र के दौरान 10 बिल पेश किए गए और 17 पारित किए गए। इस सत्र में पेश और पारित किए गए बिल्स में दूरसंचार बिल 2023 शामिल है। सत्र के दौरान भारतीय दंड संहिता, 1860, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 और भारतीय साक्ष्य एक्ट, 1872 की जगह लेने वाले तीन बिल वापस ले लिए गए। इसके बजाय, तीन नए बिल पेश और पारित किए गए। पिछले सत्र में पेश किए गए सात बिल भी पारित किए गए। इनमें मुख्य चुनाव आयुक्त बिल, 2023 और डाकघर बिल, 2023 शामिल हैं।

इस सत्र में 146 सदस्यों को निलंबित कर दिया गया। एक सदस्य (सुश्री महुआ मोइत्रा) को नैतिक कदाचार के आधार पर संसद से निष्कासित कर दिया गया।

शीतकालीन सत्र 2023 के दौरान किए गए विधायी कार्य के बारे में अधिक जानकारी के लिए यहां देखें।

सत्र के दौरान संसद के कामकाज की जानकारी के लिए यहां देखें।

माइक्रोइकोनॉमिक विकास

Tushar Chakrabarty (tushar@prsindia.org)

2023-24 की दूसरी तिमाही में चालू खाता घाटा जीडीपी का 1%

भारत ने 2023-24 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में 8.3 बिलियन USD (जीडीपी का 1%) का चालू खाता घाटा दर्ज किया, जो कि 2022-23 की इसी तिमाही के 30.9 बिलियन USD (जीडीपी का 3.8%) के घाटे से काफी कम है।[1] 20234-24 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में चालू खाता घाटा 9.2 बिलियन USD (जीडीपी का 1.1%) था। व्यापारिक व्यापार घाटा 2022-23 की दूसरी तिमाही में 78.3 बिलियन USD से कम होकर 2023-24 की दूसरी तिमाही में 61 बिलियन USD हो गया।

पूंजी खाते में 2023-24 की दूसरी तिमाही में 9.9 बिलियन USD का शुद्ध प्रवाह दर्ज किया गया, जबकि 2022-23 की इसी तिमाही में 1.5 बिलियन USD का शुद्ध प्रवाह दर्ज किया गया था। 2023-24 की पहली तिमाही में पूंजी खाते में 34.3 बिलियन USD का शुद्ध प्रवाह दर्ज किया गया।

2023-24 की दूसरी तिमाही में विदेशी मुद्रा भंडार में 2.5 बिलियन USD की वृद्धि हुई, जबकि 2022-23 की इसी तिमाही में 30.4 बिलियन USD की कमी हुई थी। 2023-24 की पहली तिमाही में विदेशी मुद्रा भंडार 24.4 बिलियन USD बढ़ गया था।

तालिका 1: भुगतान संतुलन, ति2 2023-24 (USD बिलियन)

	ति2 2022-23	ति1 2023-24	ति2 2023-24
क. निर्यात	111.9	105.0	108.5
ख. आयात	190.2	161.6	169.5
ग. व्यापार संतुलन (क -ख)	-78.3	-56.6	-61.0
घ. शुद्ध सेवा	34.4	35.1	39.9
ङ.अन्य हस्तांतरण	13	12.3	12.8
च. चालू खाता (ग+घ+ङ)	-30.9	-9.2	-8.3
छ. पूंजी खाता	1.5	34.3	9.9
ज. भूल-चूक लेनी-देनी	-0.9	-0.6	0.8
झ. मुद्रा भंडार में परिवर्तन (च+छ+ज)	-30.4	24.4	2.5

स्रोत: आरबीआई; पीआरएस।

गृह मामले

संसद ने तीन आपराधिक कानूनों का स्थान लेने वाले बिल पारित किए

Rutvik Upadhyaya (rutvik@prsindia.org)

भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्यस एक्ट (बीएसए), 2023 को संसद ने पारित कर दिया।[2,3,4] बीएनएस भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) का स्थान लेता है।[5] बीएनएसएस दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी) का स्थान लेता है, और बीएसए भारतीय साक्ष्य एक्ट, 1872 (आईईए) का स्थान लेता है।[6,7] तीनों बिल्स को अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया था और गृह मामलों से संबंधित स्टैंडिंग कमिटी ने इनकी समीक्षा की थी।[8,9,10] बाद में उन्हें वापस ले लिया गया और उनके स्थान पर नए बिल लाए गए, जिनमें स्टैंडिंग कमिटी के ज्यादा सुझाव शामिल थे। पहले के कानूनों के मद्देनजर इन नए बिल्स में प्रमुख बदलाव इस प्रकार हैं:

भारतीय न्याय संहिता, 2023

- **आतंकवाद**: बीएनएस आतंकवाद को अपराध बताता है। वह कहता है कि आतंकवाद एक ऐसा कृत्य है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डालना, या (ii) भारत में लोगों या लोगों के किसी भी वर्ग में आतंक पैदा करना।
- **संगठित अपराध**: बीएनएस संगठित अपराध को अपराध के रूप में जोड़ता है। इसमें अपहरण, जबरन वसूली, कॉन्ट्रैक्ट पर हत्या, जमीन पर कब्जा, वित्तीय घोटाले और अपराध सिंडिकेट की ओर से किए गए साइबर अपराध जैसे अपराध शामिल हैं।
- **पहचान के आधार पर समूह द्वारा अपराध**: नए अपराधों में कुछ पहचान चिह्नों के आधार पर पांच या अधिक लोगों के समूह द्वारा हत्या और गंभीर चोट पहुंचाना अपराध के रूप में शामिल है। इन चिन्हों में नस्ल, जाति या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या कोई अन्य आधार शामिल हैं। इन अपराधों में हत्या और गंभीर चोट पहुंचाने के समान दंड का प्रावधान है।
- **राजद्रोह**: बीएनएस राजद्रोह के अपराध को हटाता है। इसके बजाय यह निम्नलिखित को दंडित करता है: (i) अलगाव, सशस्त्र विद्रोह, या विध्वंसक गतिविधियों को उत्तेजित करना या उत्तेजित करने का प्रयास करना, (ii) अलगाववादी गतिविधियों की भावनाओं को प्रोत्साहित करना, या (iii) भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालना। इन अपराधों में शब्दों या संकेतों का आदान-प्रदान, इलेक्ट्रॉनिक संचार या वित्तीय साधनों का उपयोग शामिल हो सकता है।

बिल पर पीआरस के विश्लेषण के लिए कृपया देखें।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

- **हथकड़ी लगाने की शक्ति**: बीएनएसएस गिरफ्तारी के दौरान हथकड़ी के इस्तेमाल का प्रावधान करता है। यह प्रावधान करता है कि हथकड़ी का उपयोग केवल निम्नलिखित की गिरफ्तारी के लिए किया जा सकता है: (i) एक आदतन या बार-बार अपराधी जो हिरासत से भाग जाता है, या (ii) एक व्यक्ति जिसने बलात्कार, एसिड हमला, संगठित अपराध, संप्रभुता तथा भारत की अखंडता और एकता को खतरे में डालने वाले कार्य किए हैं।

- **स्थानांतरित या सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों के लिए गवाही देने वाले सक्सेसर अधिकारी**: बीएनएसएस में कहा गया है कि अगर कोई अधिकारी जिसने किसी जांच या मुकदमे के लिए दस्तावेज़ या रिपोर्ट तैयार की है, उसका स्थानांतरण हो गया है, सेवानिवृत्त हो गया है या उसकी मृत्यु हो गई है, तो न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि उनका सक्सेसर अधिकारी दस्तावेज़ पर गवाही दे।
- **विचाराधीन कैदियों की हिरासत**: सीआरपीसी के अनुसार, अगर किसी आरोपी ने कारावास की अधिकतम अवधि का आधा समय हिरासत में बिताया है, तो उसे रिहा किया जाना चाहिए। यह मृत्युदंड वाले अपराधों पर लागू नहीं होता है। बीएनएसएस में कहा गया है कि यह प्रावधान इन पर भी लागू नहीं होगा: (i) आजीवन कारावास की सजा वाले अपराध, और (ii) ऐसे व्यक्ति जिनके खिलाफ एक से अधिक अपराधों में कार्यवाही लंबित है।
- **फॉरेंसिंक जांच**: बीएनएसएस न्यूनतम सात साल की कैद की सजा वाले अपराधों के लिए फोरेंसिक जांच को अनिवार्य बनाता है। ऐसे मामलों में फोरेंसिक विशेषज्ञ सबूत इकट्ठा करने के लिए अपराध स्थलों का दौरा करेंगे और प्रक्रिया को मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर रिकॉर्ड करेंगे।

बिल पर पीआरएस के विश्लेषण के लिए कृपया देखें।

भारतीय साक्ष्य एक्ट, 2023

- **डॉक्यूमेंटरी सबूत**: आईईए के तहत, एक डॉक्यूमेंट में राइटिंग, मैप और कैरिकेचर शामिल होते हैं। बीएसबी इस वर्गीकरण को बरकरार रखता है। वह इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को डॉक्यूमेंट्स के तौर पर वर्गीकृत करता है।
- **सबूत के रूप में इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड की स्वीकार्यता**: बीएसबी प्रावधान करता है कि इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड का पेपर रिकॉर्ड जैसा ही कानूनी प्रभाव होगा। वह इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की परिभाषा को बढ़ाता है, जिससे उसमें सेमीकंडक्टर मेमोरी या किसी संचार उपकरण (स्मार्टफोन, लैपटॉप) में स्टोर की गई जानकारी को शामिल किया जा सके। इसमें ईमेल, सर्वर लॉग, स्मार्टफोन, लोकेशनल सबूत और वॉयस मेल के रिकॉर्ड भी शामिल होंगे।
- **ओरल सबूत**: आईईए के तहत, ओरल यानी मौखिक सबूत में जांच के तहत तथ्य के संबंध में गवाहों द्वारा अदालतों में दिए गए बयान शामिल हैं। बीएसबी मौखिक सबूत को इलेक्ट्रॉनिक रूप से देने की अनुमति देता है। इससे गवाहों, आरोपी व्यक्तियों और पीड़ितों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से गवाही देने की अनुमति मिल जाएगी।

बिल पर पीआरएस के विश्लेषण के लिए कृपया देखें।

संसद ने जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) बिल, 2023 को पारित किया

Tushar Chakrabarty (tushar@prsindia.org)

जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) बिल, 2023 को संसद ने पारित कर दिया।[11] बिल जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन एक्ट, 2019 में संशोधन करता है।[12] एक्ट जम्मू एवं कश्मीर राज्य का जम्मू एवं कश्मीर (विधानसभा के साथ) और लद्दाख (विधानसभा के बिना) केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में पुनर्गठन करता है। बिल की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **विधानसभा में सीटों की संख्या**: 2019 के एक्ट ने जम्मू एवं कश्मीर विधानसभा में सीटों की कुल संख्या 83 निर्दिष्ट है। यह अनुसूचित जाति के लिए छह सीटें आरक्षित करता है। लेकिन अनुसूचित जनजाति के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं की गई। बिल सीटों की कुल संख्या को बढ़ाकर 90 करता है। इसमें अनुसूचित जाति के लिए सात सीटें और अनुसूचित जनजाति के लिए नौ सीटें भी आरक्षित हैं। इसके अतिरिक्त एक्ट पाकिस्तान अधिकृत जम्मू एवं कश्मीर के निर्वाचन क्षेत्रों को 24 सीटें आवंटित करता है।
- **कश्मीर प्रवासियों के लिए नामांकन**: बिल में कहा गया है कि उपराज्यपाल कश्मीरी प्रवासी समुदाय से अधिकतम दो सदस्यों को विधानसभा में नामित कर सकते हैं। नामित सदस्यों में से एक महिला होनी चाहिए।

बिल के पीआरएस सारांश के लिए कृपया देखें।

संसद ने जम्मू एवं कश्मीर विधानसभा में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित करने वाला बिल पारित किया

Rutvik Upadhyaya (rutvik@prsindia.org)

जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन (दूसरा संशोधन) बिल, 2023 को संसद में पारित कर दिया गया।[13] बिल जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन एक्ट, 2019 में संशोधन करता है।[12]

- **महिलाओं के लिए आरक्षण**: बिल, जहां तक संभव हो, जम्मू एवं कश्मीर विधानसभा की सभी निर्वाचित सीटों में से एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित करता है। यह आरक्षण विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों पर भी लागू होगा।
- **आरक्षण की शुरुआत**: इस बिल के लागू होने के बाद आयोजित जनगणना के प्रकाशित होने के बाद आरक्षण प्रभावी होगा। जनगणना के आधार पर महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने के लिए परिसीमन किया जाएगा। आरक्षण 15 साल के लिए रहेगा। हालांकि यह संसदीय कानून द्वारा निर्धारित तिथि तक जारी रहेगा। उल्लेखनीय है कि संविधान 2026 के बाद पहली जनगणना से पहले परिसीमन पर रोक लगाता है।

बिल पर पीआरएस के सारांश के लिए कृपया देखें।

जम्मू एवं कश्मीर आरक्षण कानून में संशोधन करने वाले बिल को संसद ने पारित किया

Rutvik Upadhyaya (rutvik@prsindia.org)

जम्मू एवं कश्मीर आरक्षण (संशोधन) बिल, 2023 को संसद में पारित कर दिया गया।[14] यह जम्मू एवं कश्मीर आरक्षण एक्ट, 2004 में संशोधन करता है।[15] एक्ट अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के सदस्यों को व्यावसायिक संस्थानों में नौकरियों और प्रवेश में आरक्षण प्रदान करता है।

एक्ट के तहत सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर द्वारा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा घोषित किए गए गांवों में रहने वाले लोग, (ii) वास्तविक नियंत्रण रेखा और अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों में रहने वाले लोग, और (iii) कमजोर और वंचित वर्ग (सामाजिक जातियां), जैसा कि अधिसूचित किया गया है। केंद्र सरकार एक आयोग के सुझाव के आधार पर कमजोर और वंचित वर्गों की श्रेणी में किसी समुदाय को शामिल कर सकती है, या उस श्रेणी से किसी समुदाय को बाहर कर सकती है। बिल कमजोर और वंचित वर्गों के स्थान पर अन्य पिछड़ा वर्ग को रखता है, जिसे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर द्वारा घोषित किया जाएगा। एक्ट से कमजोर और वंचित वर्गों की परिभाषा हटा दी गई है।

बिल पर पीआरएस के सारांश के लिए कृपया देखें।

संसद ने पुद्दूचेरी विधानसभा में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण करने वाले बिल को पारित किया

Rutvik Upadhyaya (rutvik@prsindia.org)

केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) बिल, 2023 को संसद ने पारित कर दिया।[16] यह बिल केंद्र शासित प्रदेश सरकार एक्ट, 1963 में संशोधन करता है।[17] एक्ट कुछ विशेष केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विधानसभाओं की स्थापना और मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान करता है।

- **महिलाओं के लिए आरक्षण**: बिल पुद्दूचेरी विधानसभा की सभी निर्वाचित सीटों में से एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित करता है। यह विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीटों पर भी लागू होगा।
- **आरक्षण की शुरुआत**: बिल के लागू होने के बाद होने वाली जनगणना के प्रकाशन के बाद आरक्षण प्रभावी होगा। जनगणना के आधार पर महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने के लिए परिसीमन किया जाएगा। आरक्षण 15 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा। हालांकि यह उस तारीख तक जारी रहेगा, जिसका निर्धारण संसद के किसी कानून द्वारा किया जाता है।
- **सीटों का रोटेशन**: हर परिसीमन के बाद महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का रोटेशन किया जाएगा, जैसा कि संसद के कानून द्वारा निर्धारित किया जाए।

बिल पर पीआरएस के सारांश के लिए कृपया देखें।

कानून और न्याय

संसद ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों को रेगुलेट करने वाला बिल पारित किया

Tanvi Vipra (tanvi@prsindia.org)

मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यावधि) बिल, 2023 को संसद में पारित कर दिया गया।[18,19] यह बिल निर्वाचन आयोग (चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तें और कार्य संचालन) एक्ट, 1991 का स्थान लेता है।[20]

संविधान के अनुसार, मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और अन्य चुनाव आयुक्त (ईसी) की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बिल सीईसी और अन्य ईसी की नियुक्ति के लिए एक प्रक्रिया निर्दिष्ट करता है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति सिलेक्शन कमिटी के सुझाव पर नियुक्तियां करेंगे। बिल की मुख्य विशेषताएं हैं:

- **चयन समिति (सिलेक्शन कमिटी) का संयोजन**: चयन समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे: (i) अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, (ii) सदस्य के रूप में लोकसभा में विपक्ष के नेता, और (iii) प्रधानमंत्री द्वारा सदस्य के रूप में नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। अगर लोकसभा में विपक्ष के नेता को मान्यता नहीं दी गई है तो लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता इस भूमिका में होगा।
- **खोजबीन समिति (सर्च कमिटी)**: चयन समिति पर विचार करने के लिए खोजबीन समिति पांच व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करेगी। खोजबीन समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करेंगे। इसमें सचिव स्तर के दो अन्य सदस्य होंगे। चयन समिति उन उम्मीदवारों पर भी विचार कर सकती है जिन्हें खोजबीन समिति द्वारा तैयार पैनल में शामिल नहीं किया गया है।
- **सीईसी और ईसी की क्वालिफिकेशन:** जो व्यक्ति केंद्र सरकार के सचिव के पद के बराबर पद पर हैं या ऐसे पद पर रह चुके हैं, वे सीईसी और ईसी के रूप में नियुक्त होने के पात्र होंगे। ऐसे व्यक्तियों के पास चुनाव प्रबंधन और संचालन में विशेषज्ञता होनी चाहिए।
- **सेवा शर्तें**: सीईसी का वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होगा। सेवा की अन्य शर्तें जैसे चिकित्सा सुविधाएं और यात्रा भत्ता राष्ट्रपति द्वारा नियमों के माध्यम से निर्धारित किया जाएगा।

बिल पर पीआरएस के सारांश के लिए कृपया देखें।

संसद में निरसन और संशोधन बिल, 2022 पारित

Tushar Chakrabarty (tushar@prsindia.org)

निरसन और संशोधन बिल, 2022 को संसद ने पारित कर दिया।[21] यह उन 65 कानूनों को निरस्त करता है जो अप्रचलित हैं या जिन्हें अन्य कानूनों द्वारा निरर्थक बना दिया गया है। यह फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट, 2011 में ड्राफ्टिंग के छोटी सी त्रुटि को भी ठीक करता है।[22]

बिल पर पीआरएस सारांश के लिए कृपया देखें।

एडवोकेट्स एक्ट, 1961 में संशोधन करने वाला बिल संसद में पारित

Tushar Chakrabarty (tushar@prsindia.org)

एडवोकेट्स (संशोधन) बिल, 2023 को संसद में पारित कर दिया गया।[23] बिल एडवोकेट्स एक्ट, 1961 में संशोधन करता है। वह लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट, 1879 के तहत दलालों (टाउट्स) से संबंधित कुछ धाराओं को निरस्त करता है।[24,25] 1961 का कानून लीगल प्रैक्टिशनर्स से संबंधित कानून को एक करता है और बार काउंसिल और ऑल-इंडिया बार का गठन करता है। बिल की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **दलाल**: बिल में प्रावधान है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय, जिला न्यायाधीश, सत्र न्यायाधीश, जिला मजिस्ट्रेट और राजस्व अधिकारी (जिला कलेक्टर के पद से नीचे नहीं) दलालों की सूची तैयार और प्रकाशित कर सकते हैं। दलाल एक ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो: (i) या तो किसी भुगतान के बदले में लीगल बिजनेस में एक लीगल प्रैक्टीशनर को रोजगार दिलाने की पेशकश करता है या रोजगार दिलाता है, या (iii) ऐसे रोजगार दिलाने के लिए दीवानी या फौजदारी अदालतों के परिसर, राजस्व-कार्यालयों या रेलवे स्टेशनों जैसी

जगहों पर बार-बार जाता है। न्यायालय या न्यायाधीश किसी भी ऐसे व्यक्ति को न्यायालय परिसर से बाहर कर सकता है जिसका नाम दलालों की सूची में शामिल है।

- **सूची तैयार करना**: दलालों की सूची तैयार और प्रकाशित करने के लिए अधिकृत अथॉरिटीज़ अधीनस्थ अदालतों को आदेश दे सकती हैं कि वे दलाल के तौर पर आरोपित या संदिग्ध व्यक्तियों के आचरण की जांच करें। एक बार किसी व्यक्ति के दलाल साबित होने पर अथॉरिटी उसका नाम दलालों की सूची में शामिल कर सकती है। इन सूचियों में नाम शामिल करने से पहले किसी भी व्यक्ति को यह बताने का मौका दिया जाना चाहिए कि उसका नाम उस सूची में क्यों न शामिल किया जाए।

बिल पर पीआरएस के सारांश के लिए कृपया देखें।

सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 370 के निरसन को बरकरार रखा

Rutvik Upadhyaya (rutvik@prsindia.org)

सर्वोच्च न्यायालय की पांच न्यायधीशों की संविधान पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर अपना फैसला सुनाया।[26] यह अनुच्छेद पूर्ववर्ती राज्य जम्मू और कश्मीर को एक विशेष दर्जा प्रदान करता है।[27] यह अनुच्छेद पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर के रक्षा, विदेश मामले, संचार और केंद्रीय चुनावों से संबंधित मामलों पर संसद की कानून बनाने की शक्ति को सीमित करता था। हालांकि राष्ट्रपति संसद के अन्य विषयों से संबंधित कानूनों को राज्य सरकार की सहमति से लागू कर सकते हैं।

अगस्त 2019 में संसद ने राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के लिए संकल्प मंजूर किया।[28] उसने जम्मू-कश्मीर के पूर्ववर्ती राज्य को निम्नलिखित में पुनर्गठित करने वाला एक बिल भी पारित किया: (i) विधानसभा के साथ, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और (ii) विधानसभा के बिना केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। इन फैसलों को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी।[29]

सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 370 के निरसन को बरकरार रखा। उसने कहा कि: (i) पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य के पास कोई संप्रभुता नहीं थी, (ii) अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था, (iii) राष्ट्रपति के पास संविधान सभा (जिसे भंग कर दिया गया था) की सिफारिश के बिना यह घोषणा करने की शक्ति थी कि अनुच्छेद 370 अब लागू नहीं होगा, (iv) संसद राज्य विधानसभा की कानून बनाने की शक्ति का इस्तेमाल कर सकती है, और गैर विधिक उद्देश्यों से संबंधित भी, और (v) जम्मू-कश्मीर का संविधान निष्क्रिय और निरर्थक हो गया है।

सॉलिसिटर जनरल की इस दलील पर विचार करते हुए कि जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा, न्यायालय ने कहा कि राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित करने की संवैधानिक वैधता पर फैसला देना जरूरी नहीं है। उसने चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा के चुनाव 30 सितंबर, 2024 तक कराए जाएं।[26] उसने कहा कि जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाए।

नोटरी पर स्टैंडिंग कमिटी की रिपोर्ट

Rutvik Upadhyaya (rutvik@prsindia.org)

कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (चेयर: श्री सुशील कुमार मोदी) ने "नोटरी की नियुक्ति" पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।[30] नोटरी एक सार्वजनिक अधिकारी होता है जो कॉन्ट्रैक्ट्स, डीड्स और दूसरे दस्तावेजों को नोटरी मुहर के साथ प्रमाणित करता है। नोटरी से प्रमाणित किए गए दस्तावेजों की प्रथम दृष्टया वैधता होती है और उन्हें वास्तविक माना जाता है। कमिटी के मुख्य निष्कर्षों और सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **नोटरी शुल्क की समीक्षा**: कमिटी ने कहा कि नोटरी आय के लिए पूरी तरह से ग्राहक शुल्क पर निर्भर करते हैं। उसने कहा कि निर्धारित शुल्क कम है और इसे आखिरी बार 2014 में अपडेट किया गया था। उसने नोटरी को देय शुल्क बढ़ाने और इसे मुद्रास्फीति के साथ जोड़ने का सुझाव दिया। उसने हर पांच साल में एक संशोधन का प्रस्ताव रखा।
- **नोटरी की नियुक्ति**: कमिटी ने कहा कि नोटरी बनने के लिए 10 साल की प्रैक्टिस की वर्तमान

शर्त बहुत ज्यादा है। उसने इसे घटाकर पांच साल करने का सुझाव दिया। उसने आवेदकों के लिए कम से कम 100 मामलों में उपस्थित होना अनिवार्य किए जाने का सुझाव दिया। इसके अलावा, वर्तमान में नोटरी की नियुक्ति इंटरव्यू के जरिए की जाती है। उसने ऑल-इंडिया बार के समान एक परीक्षा कराने का सुझाव दिया।

- **नोटरी की नियुक्तियों को रैशनलाइज करना**: कमिटी ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नोटरी की संख्या निर्धारित करने में अधिक व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया। मौजूदा मानदंड, जोकि आवेदनों की संख्या पर आधारित है, को अस्पष्ट और निष्पक्षता की कमी वाला माना गया। कमिटी ने उस राज्य की जनसंख्या, मुकदमेबाजी के वॉल्यूम, आर्थिक और वाणिज्यिक गतिविधियों जैसे कारकों के आधार पर मूल्यांकन का सुझाव दिया।
- **नोटरी सर्टिफिकेट को रीन्यू करना**: कमिटी ने हर पांच साल में प्रैक्टिस सर्टिफिकेट को रीन्यू करने की अनिवार्यता को खत्म करने का सुझाव दिया। उसने सरकार द्वारा निर्धारित एक निर्दिष्ट आयु तक नोटरी को प्रैक्टिस करने की अनुमति देने का सुझाव दिया गया।
- **दस्तावेजों को नोटराइज करना**: कमिटी ने कहा कि नोटरी के काम को आधुनिक बनाया जाना चाहिए और उसे डिजिटल करना चाहिए। इस काम को एक केंद्रीकृत ऑनलाइन डेटाबेस में स्टोर और मेनटेन किया जाना चाहिए। उसने सरकार को यह सुनिश्चित करने का सुझाव दिया कि सभी सार्वजनिक नोटरी अपने द्वारा नोटरीकृत दस्तावेजों का रिकॉर्ड रखने के लिए एक डिजिटल रजिस्टर बनाएं।

वित्त

अनंतिम कर संग्रह कानून का स्थान लेने वाला बिल संसद में पारित

Pratinav Damani (pratinav@prsindia.org)

अनंतिम कर संग्रह बिल, 2023 को संसद में पारित कर दिया गया।[31] यह बिल अनंतिम कर संग्रह एक्ट, 1931 को निरस्त करता है।[32] इस कानून में सीमा शुल्क (कस्टम्स) या उत्पाद शुल्क (एक्साइज) के अंतरिम अधिरोपण या वृद्धि का प्रावधान है। बिल में एक्ट के तहत सभी प्रावधानों को बरकरार रखा गया है।

संविधान के तहत किसी भी कर को लगाने के लिए एक कानून की आवश्यकता होती है। इस एक्ट के तहत किसी भी बिल में प्रस्तावित उत्पाद शुल्क या सीमा शुल्क को ऐसे बिल के पारित होने से पहले ही लगाया जा सकता है। कर बिल पारित होने तक या इसके पेश होने के अधिकतम 75 दिनों तक प्रभावी रहेगा।

बिल पर पीआरएस के सारांश के लिए कृपया देखें।

केंद्रीय कर एवं सेवा कानून में संशोधन करने वाला बिल संसद में पारित

Pratinav Damani (pratinav@prsindia.org)

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (दूसरा संशोधन) बिल, 2023 को संसद में पारित कर दिया गया।[33] यह केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) एक्ट, 2017 में संशोधन करता है।[34] एक्ट में वस्तुओं एवं सेवाओं की अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर सीजीएसटी की उगाही और संग्रह का प्रावधान है।

बिल जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल के न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक योग्यताओं में बदलाव करता है। कम से कम 10 वर्ष के अनुभव वाले वकील ट्रिब्यूनल के न्यायिक सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

बिल पर पीआरएस के सारांश के लिए कृपया देखें।

रेपो रेट 6.5% पर अपरिवर्तित

Pratinav Damani (pratinav@prsindia.org)

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने पॉलिसी रेपो रेट (जिस दर पर

आरबीआई बैंकों को ऋण देता है) को 6.5% पर बरकरार रखने का फैसला किया है।[35] समिति के अन्य निर्णयों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- स्टैंडिंग डिपॉजिट फेसिलिटी रेट (जिस दर पर आरबीआई कोलेट्रल दिए बिना बैंकों से उधार लेता है) को 6.25% पर बरकरार रखा गया है।
- मार्जिनल स्टैंडिंग फेसिलिटी रेट (जिस दर पर बैंक अतिरिक्त धन उधार ले सकते हैं) और बैंक रेट (जिस दर पर आरबीआई बिल्स ऑफ एक्सचेंज को खरीदता है) को 6.75% पर बरकरार रखा गया है।

एमपीसी ने समायोजन की वापसी पर ध्यान केंद्रित रखने का निर्णय लिया है। इससे यह सुनिश्चित होने की उम्मीद है कि विकास को समर्थन देते हुए मुद्रास्फीति उत्तरोत्तर 4% के लक्ष्य के अनुरूप हो।

इरडाई ने बीमा उत्पादों के लिए ड्राफ्ट रेगुलेशन जारी किए

Tushar Chakrabarty (tushar@prsindia.org)

भारतीय बीमा रेगुलेटरी और विकास प्राधिकरण (इरडाई) ने इरडाई (बीमा उत्पाद) रेगुलेशन, 2023 का ड्राफ्ट जारी किया है।[36] ड्राफ्ट रेगुलेशंस बीमा उत्पादों को डिजाइन करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है और उत्पादों को डिजाइन करने के लिए समितियों का गठन करता है। यह निम्नलिखित नियमों को निरस्त करने का प्रयास करता है: (i) इरडाई (सूक्ष्म बीमा) रेगुलेशन, 2015, (ii) इरडाई (स्वास्थ्य बीमा) रेगुलेशन, 2016, और (iii) इरडाई (यूनिट लिंक्ड बीमा उत्पाद) रेगुलेशन, 2019।[37,38,39] मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **डिजाइन और मूल्य निर्धारण**: बीमा उत्पादों के डिजाइन और मूल्य निर्धारण के कुछ मानदंड हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) ग्राहकों के बढ़ते रिस्क कवरेज की जरूरतों को सुनिश्चित करना, (ii) समझने में सरल उत्पाद, (iii) प्रीमियम दरें जो बहुत ज्यादा, अपर्याप्त या अनुचित रूप से भेदभावपूर्ण न हों, और (iv) उत्पादों का मूल्य निर्धारण करते समय प्रासंगिक जोखिमों को ध्यान में रखना।
- **सूक्ष्म बीमा उत्पाद**: सूक्ष्म बीमा उत्पाद निम्न आय वर्ग के लिए डिजाइन किए जाते हैं। वे कम वार्षिक प्रीमियम के साथ-साथ कम बीमा कवर भी प्रदान करते हैं। ड्राफ्ट रेगुलेशंस निर्दिष्ट करते हैं कि ऐसे उत्पाद लक्षित बाजार की जरूरतों के आधार पर प्रीमियम भुगतान की पेशकश कर सकते हैं। जीवन, सामान्य या स्वास्थ्य बीमाकर्ता संयुक्त सूक्ष्म-बीमा उत्पादों की पेशकश करने के लिए टाई-अप कर सकते हैं।
- **उत्पाद प्रबंधन समिति (पीएमसी)**: बीमाकर्ताओं के बोर्ड को एक उत्पाद प्रबंधन समिति (पीएमसी) का गठन करना होगा। पीएमसी की जिम्मेदारियों में निम्नलिखित सुनिश्चित करना शामिल है: (i) लक्षित बाजार के लिए उचित उत्पाद डिजाइन, (ii) रेगुलेटरी अनुपालन, (iii) उत्पाद प्रदर्शन की समय-समय पर समीक्षा, और (iv) अगर जरूरी हो तो उत्पाद में संशोधन या वापसी।
- **उत्पादों की समीक्षा**: वर्ष में कम से कम एक बार ऐक्चूएरी को सभी बीमा उत्पादों की समीक्षा करनी चाहिए। समीक्षा के दौरान निम्नलिखित को ध्यान में रखा जाना चाहिए: (i) सभी हितधारकों की उचित अपेक्षाएं, (ii) उत्पाद की वित्तीय लाभपरकता, (iii) उत्पाद के तहत उभरते जोखिम और अनुभव, और (iv) कोई अन्य प्रासंगिक कारक। नियुक्त ऐक्चूएरी समीक्षा के निष्कर्षों को पीएमसी के सामने पेश करेगा, जिसमें उत्पाद में संशोधन या उसे वापस लेने से संबंधित सुझाव भी शामिल हो सकते हैं।

टिप्पणियां 3 जनवरी, 2024 तक आमंत्रित हैं।

सेबी ने सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए लिस्टिंग नियमों में संशोधन जारी किए

Pratinav Damani (pratinav@prsindia.org)

भारतीय सिक्योरिटीज़ और रेगुलेशन बोर्ड (सेबी) ने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के लिए लिस्टिंग नियमों पर एक परामर्श पत्र जारी किया है।[40] सिक्योरिटीज़ के मुद्दे को प्रबंधित करने वाले रेगुलेशंस में सेबी (लिस्टिंग के दायित्व और प्रकटीकरण की शर्त) रेगुलेशन, 2015 और सेबी (नॉन-कनवर्टिबल सिक्योरिटीज़ को इश्यू करना और लिस्टिंग) रेगुलेशन, 2021 (एनसीएस रेगुलेशन) शामिल हैं।[41,42] ये नियम मुख्य रूप से विभिन्न इक्विटी और डेट सिक्योरिटीज़ की लिस्टिंग को रेगुलेट करते हैं। परामर्श

पत्र में इन रेगुलेशंस में संशोधन का प्रस्ताव है। प्रमुख प्रस्तावों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को इश्यू करने के लिए मूल्यवर्ग को कम करना**: रेगुलेशंस के अनुसार निजी तौर पर पेश डेट सिक्योरिटीज़ (निवेशकों के एक चुनिंदा समूह को दी जाने वाली सिक्योरिटीज़) और नॉन-कनवर्टिबल रीडीमेबल प्रिफरेंस शेयर (जिन्हें इक्विटी शेयरों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता) के लिए कम से कम एक लाख रुपए के न्यूनतम मूल्यवर्ग की शर्त है। परामर्श पत्र में प्रस्ताव है कि न्यूनतम मूल्य को घटाकर 10,000 रुपए किया जाए। ऐसे मामलों में, इश्यूअर को ऐसे इंस्ट्रूमेंट की उचित समीक्षा करने और उन्हें प्लेसमेंट मेमोरेंडम में शामिल करने के लिए एक मर्चेंट बैंकर नियुक्त करना होगा। ऐसे इंस्ट्रूमेंट एक सरल संरचना (कोई व्यवस्थित दायित्व नहीं) के साथ ब्याज या लाभांश देने वाले इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए।
- **कुछ डेट सिक्योरिटीज़ के इश्यू को फास्ट-ट्रैक करना**: सेबी डेट सिक्योरिटीज़ की लिस्टिंग के लिए एक फास्ट-ट्रैक व्यवस्था पर विचार कर रहा है। पात्रता मानदंडों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) लगातार तीन वर्षों के लिए लिस्टेड निर्दिष्ट इंस्ट्रूमेंट्स, (ii) इश्यू की जाने वाली डेट सिक्योरिटीज़ की क्रेडिट रेटिंग 'एए-' या उससे ऊपर होनी चाहिए, और (iii) इश्यूअर के खिलाफ कोई रेगुलेटरी कार्रवाई लंबित नहीं होनी चाहिए। डेट सिक्योरिटीज़ को जारी करने में तेजी लाने के लिए प्रस्तावित बदलावों में निम्न शामिल हैं: (i) ऐसी सिक्योरिटीज़ की लिस्टिंग में लगने वाले समय को छह दिन से घटाकर तीन दिन करना, और (ii) डेट सिक्योरिटीज़ के पब्लिक इश्यू पर टिप्पणियों के लिए सात की बजाय दो दिन का समय देना।
- **भौतिक घटनाओं का खुलासा**: एनसीएस रेगुलेशंस के अनुसार इश्यूज़ जारी करते समय कुछ जानकारी का खुलासा किया जाना आवश्यक है। इन खुलासों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) पूंजी संरचना, निदेशकों या ऑडिटर्स का बदलाव, (ii) किसी ऋण पर किसी भी चूक या विलंबित भुगतान का विवरण, और (iii) पक्ष से संबंधित लेनदेन। ये विवरण चालू वित्तीय वर्ष (आज की तारीख के अनुसार) और तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के लिए प्रदान किए जाएंगे। यह प्रस्ताव किया गया है कि इश्यूअर, इश्यू की तारीख से विवरण देने की बजाय चालू वित्तीय वर्ष की नवीनतम तिमाही का विवरण प्रदान करे।

आरबीआई ने सेल्फ-रेगुलटरी संगठनों के लिए ड्राफ्ट फ्रेमवर्क जारी किए

Tushar Chakrabarty (tushar@prsindia.org)

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने रेगुलेटेड संस्थाओं के सेल्फ रेगुलेटरी संगठनों (एसआरओ) को मान्यता देने के लिए एक ड्राफ्ट फ्रेमवर्क जारी किया है।[43] आरबीआई ने कहा कि रेगुलेटेड संस्थाओं की संख्या और पैमाने में वृद्धि हो रही है, इस लिहाज से सेल्फ रेगुलेशन के लिए बेहतर मानक विकसित करना जरूरी है। आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड संस्थाओं में बैंक, गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां और पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर शामिल हैं। एसआरओ तकनीकी विशेषज्ञता के जरिए रेगुलेशंस के असर में सुधार कर सकता है और रेगुलेटरी नीतियों को तैयार करने में मदद कर सकता है। फ्रेमवर्क की मुख्य विशेषताओं में निम्न शामिल हैं:

- **मान्यता की प्रक्रिया**: इच्छुक एसआरओ मान्यता के लिए आरबीआई को आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उसे कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में पंजीकृत होना, (ii) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना और निर्दिष्ट सदस्यता हासिल होना, और (iii) इसके निदेशकों के पास पेशेवर क्षमता होनी चाहिए, वित्तीय रूप से मजबूत होना चाहिए, और उनकी निष्पक्षता एवं अखंडता की साख होनी चाहिए।
- **निर्दिष्ट सिद्धांतों का पालन**: एसआरओ के पास: (i) नैतिक और प्रशासनिक मानकों को निर्धारित करने के लिए सदस्यता समझौतों से अधिकार प्राप्त होना चाहिए, (ii) उसे अपने सदस्यों के आचरण के लिए नियम बनाने हेतु उद्देश्यपूर्ण और परामर्शात्मक प्रक्रियाएं स्थापित करनी चाहिए, (iii) उसे अनुपालन की संस्कृति में सुधार के लिए मानक विकसित करना चाहिए और (iv) उसके

पास क्षेत्र की प्रभावी निगरानी के तरीके होने चाहिए।

- **सदस्यों के प्रति जिम्मेदारियां**: अपने सदस्यों के प्रति एसआरओ की प्राथमिक जिम्मेदारी सर्वोत्तम कारोबारी पद्धतियों को बढ़ावा देना होगा। अन्य जिम्मेदारियों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) अपने सदस्यों के लिए आचार संहिता तैयार करना और उसके अनुपालन की निगरानी करना, (ii) एक समान और गैर-भेदभावपूर्ण सदस्यता शुल्क संरचना विकसित करना, (iii) अपने सदस्यों के लिए शिकायत निवारण और विवाद समाधान/मध्यस्थता ढांचे की स्थापना करना और (iv) वैधानिक/रेगुलेटरी प्रावधानों के संबंध में जानकारी बढ़ाना।
- **सदस्यता के मानदंड**: क्षेत्र का समग्र रूप से प्रतिनिधित्व करने के लिए एसआरओ के पास सभी स्तरों पर सदस्यों का अच्छा संयोजन होना चाहिए। सदस्यता स्वैच्छिक होगी। मान्यता प्रदान करने के दो वर्ष के भीतर न्यूनतम निर्धारित सदस्यता प्राप्त की जानी चाहिए।

टिप्पणियां 25 जनवरी, 2024 तक आमंत्रित हैं।[44]

आरबीआई ने फेमा के तहत अधिकृत व्यक्तियों के लिए लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क का ड्राफ्ट जारी किया

Tushar Chakrabarty (tushar@prsindia.org)

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन एक्ट (फेरमा), 1999 के तहत अधिकृत व्यक्तियों के लिए एक ड्राफ्ट लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क जारी किया है।[45,46] फेमा के तहत, केवल आरबीआई द्वारा अधिकृत व्यक्ति ही विदेशी मुद्रा या सिक्योरिटीज़ में सौदा कर सकते हैं।[47] ऐसे व्यक्तियों को अधिकृत डीलर, मनी चेंजर या ऑफ-शोर बैंकिंग इकाइयों के रूप में नामित किया जा सकता है। आरबीआई ने कहा कि विदेशी मुद्रा नियमों के उदारीकरण के साथ, अधिकांश लेनदेन आरबीआई से संपर्क किए बिना किए जा सकते हैं। प्रमुख प्रस्तावों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **फॉरेक्स कॉरस्पॉन्डेंट्स**: संशोधित फ्रेमवर्क के तहत मनी चेंजर्स की एक नई श्रेणी शुरू की जाएगी। वे अधिकृत डीलरों की कुछ श्रेणियों के फॉरेक्स कॉरस्पॉन्डेंट्स बनकर एक एजेंसी मॉडल के माध्यम से काम करेंगे। ऐसी संस्थाओं को आरबीआई से मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं होगी।
- **स्थायी मंजूरी**: वर्तमान में, श्रेणी-II अधिकृत डीलरों के रूप में काम करने के लिए मंजूरी शुरू में एक वर्ष के लिए दी जाती है। इसे एक से पांच साल की अवधि के लिए रीन्यू किया जा सकता है। श्रेणी-II अधिकृत डीलर निजी और व्यावसायिक यात्रा के लिए विदेशी मुद्रा की बिक्री/खरीद के साथ-साथ गैर-व्यापार संबंधी चालू खाता लेनदेन भी कर सकते हैं।[48] आरबीआई ने इन संस्थाओं की मौजूदा मंजूरी को हमेशा के लिए रीन्यू करने का प्रस्ताव दिया है। इन संस्थाओं को प्रति लेनदेन 15 लाख रुपए तक के व्यापार-संबंधी लेनदेन की सुविधा दिए जाने का भी प्रस्ताव रखा गया है।
- **विदेशी बैंक**: विदेशी बैंकों को वर्तमान में श्रेणी-I अधिकृत डीलरों के रूप में काम करने से प्रतिबंधित किया गया है। ये डीलर सभी अनुमत चालू और पूंजी खाता लेनदेन कर सकते हैं।[48] आरबीआई ने विदेशी बैंकों को श्रेणी-I अधिकृत डीलरों के रूप में काम करने की अनुमति देने का प्रस्ताव दिया है।
- **पात्रता**: श्रेणी-II अधिकृत डीलरों के रूप में मौजूदा मंजूरी को अपग्रेड या रीन्यू करने या श्रेणी-III अधिकृत डीलरों के रूप में नई मंजूरी की मांग करने वाली संस्थाओं को कुछ मानदंडों को पूरा करना होगा। श्रेणी-III अधिकृत डीलर अपने व्यवसाय के लिए आकस्मिक विदेशी मुद्रा लेनदेन कर सकते हैं।[48] पात्रता मानदंडों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) इकाई को कंपनी के रूप में पंजीकृत करना, (ii) इसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसमें वह विदेशी मुद्रा एक्टिविटी शामिल होगी जिसके लिए मंजूरी मांगी गई है, और (iii) न्यूनतम शुद्ध मूल्य की शर्त का पालन।

31 जनवरी, 2024 तक टिप्पणियां आमंत्रित हैं।

सेबी ने सिक्योरिटीज़ के तत्काल निपटान पर परामर्श पत्र जारी किया

Tushar Chakrabarty (tushar@prsindia.org)

भारतीय सिक्योरिटीज़ और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सिक्योरिटीज़ का तुरंत निपटान शुरू करने पर एक परामर्श पत्र जारी किया है।[49] जनवरी 2023 से फंड और सिक्योरिटीज़ के आदेश के लागू होने के अगले दिन से उनका निपटान किया जाता है। सेबी ने कहा कि भुगतान प्रणालियों के विकास से क्लियरिंग और निपटान की समयसीमा को आगे बढ़ाने का मौका मिल गया है। तत्काल निपटान के लाभों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) फंड्स और सिक्योरिटीज़ की तुरंत प्राप्ति, (ii) फंड्स और सिक्योरिटीज़ पर बेहतर निवेशक नियंत्रण, (iii) सिक्योरिटी बाजार में पूंजी का मुक्त होना, और (iv) समूचे जोखिम प्रबंधन का बढ़ना। हालांकि उसने कुछ चिंताओं को भी चिन्हित किया है जैसे व्यापार की बढ़ी हुई लागत और निपटान चक्र के आधार पर शेयरों की कीमत में संभावित अंतर। सेबी ने वैकल्पिक आधार पर शेयरों के लिए तत्काल निपटान तंत्र शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। इसे दो चरणों में लागू किया जाएगा। पहले चरण में फंड और सिक्योरिटीज का निपटान एक ही दिन किया जाएगा। दूसरे चरण में, व्यक्तिगत ट्रेड का तुरंत निपटान किया जाएगा।

12 जनवरी, 2024 तक टिप्पणियां आमंत्रित हैं।

संचार

Pratinav Damani (pratinav@prsindia.org)

दूरसंचार क्षेत्र को रेगुलेट करने वाले बिल को संसद ने पारित किया

दूरसंचार बिल, 2023 को संसद में पारित कर दिया गया।[50] यह दूरसंचार से संबंधित गतिविधियों को रेगुलेट करने का प्रयास करता है। यह भारतीय टेलीग्राफ एक्ट, 1885 और भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट, 1933 को निरस्त करता है।[51,52] यह भारतीय दूरसंचार रेगुलेटरी अथॉरिटी (ट्राई) एक्ट, 1997 में भी संशोधन करता है।[53] बिल की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **दूरसंचार से संबंधित गतिविधियों के लिए ऑथराइजेशन**: निम्नलिखित के लिए केंद्र सरकार से पहले ऑथराइजेशन की जरूरत होगी: (i) दूरसंचार सेवाएं देना, (ii) दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, संचालन, रखरखाव या विस्तार करना, या (iii) रेडियो उपकरण रखना। मौजूदा लाइसेंस उस अवधि तक वैध रहेंगे, जिसके लिए उन्हें प्रदान किया गया है। अगर अवधि निर्दिष्ट नहीं है तो वे पांच वर्ष तक वैध रहेंगे।
- **स्पेक्ट्रम का आवंटन**: स्पेक्ट्रम को नीलामी द्वारा आवंटित किया जाएगा, सिवाय निर्दिष्ट उपयोगों को छोड़कर, जहां इसे प्रशासनिक आधार पर आवंटित किया जाएगा। इनमें निम्नलिखित उद्देश्य शामिल हैं: (i) राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा, (ii) आपदा प्रबंधन, (iii) मौसम की भविष्यवाणी, (iv) परिवहन, (v) सैटेलाइट सेवाएं जैसे डीटीएच और सैटेलाइट टेलीफोनी, और (vi) बीएसएनएल, एमटीएनएल और सार्वजनिक प्रसारण सेवाएं। केंद्र सरकार किसी भी फ्रीक्वेंसी रेंज का उद्देश्य दोबारा तय कर सकती है या उसे दोबारा आवंटित कर सकती है। केंद्र सरकार किसी भी स्पेक्ट्रम की शेयरिंग, ट्रेडिंग, लीजिंग और उसे सरेंडर करने की अनुमति दे सकती है।
- **इंटरसेप्शन और तलाशी का अधिकार**: दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच संदेशों या संदेशों की एक श्रेणी को कुछ आधारों पर इंटरसेप्ट, मॉनिटर या ब्लॉक किया जा सकता है। ऐसी कार्रवाइयां सार्वजनिक सुरक्षा या सार्वजनिक आपातकाल के हित में आवश्यक या उचित होनी चाहिए, और निर्दिष्ट आधारों के हित में होनी चाहिए जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) राज्य की सुरक्षा, (ii) अपराधों को उकसाए जाने से रोकना, या (iii) सार्वजनिक व्यवस्था। सरकार द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी अनाधिकृत दूरसंचार नेटवर्क या उपकरण रखने के लिए परिसरों या वाहनों की तलाशी ले सकता है।

बिल पर पीआरएस के विश्लेषण के लिए कृपया देखें।

प्रेस और पीरिऑडिकल्स को रेगुलेट करने वाला बिल संसद में पारित किया गया

प्रेस और पीरिऑडिकल्स पंजीकरण बिल, 2023 को संसद में पारित कर दिया गया।[54] यह प्रेस और पीरिऑडिकल्स पंजीकरण एक्ट, 1867 को निरस्त करता है।[55] बिल की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **पीरिऑडिकल्स का पंजीकरण**: एक्ट समाचार पत्रों, पीरिऑडिकल्स और पुस्तकों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। यह पुस्तकों की कैटेलॉगिंग का भी प्रावधान करता है। बिल पीरिऑडिकल्स के पंजीकरण का प्रावधान करता है, जिसमें सार्वजनिक समाचार या सार्वजनिक समाचार पर टिप्पणियों वाला कोई भी पब्लिकेशन शामिल है। पीरिऑडिकल्स में किताबें या वैज्ञानिक और अकादमिक पत्रिकाएं शामिल नहीं हैं।
- **विदेशी पीरिऑडिकल्स**: किसी विदेशी पीरिऑडिकल के हूबहू रीप्रोडक्शन को भारत में सिर्फ तभी प्रिंट किया जा सकता है, जब केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी ली जाए। इन पीरिऑडिकल्स के पंजीकरण के तरीके को निर्दिष्ट किया जाएगा।
- **प्रेस रजिस्ट्रार जनरल**: एक्ट केंद्र सरकार के लिए एक प्रेस रजिस्ट्रार नियुक्त करने का प्रावधान करता है जो समाचार पत्रों का एक रजिस्टर मेनटेन करता है। बिल में भारत के प्रेस रजिस्ट्रार जनरल का प्रावधान है जो सभी पीरिऑडिकल्स के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा। प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के अन्य कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) पीरिऑडिकल्स का एक रजिस्टर मेनटेन करना, (ii) पीरिऑडिकल्स के टाइटिल की मान्यता के लिए दिशानिर्देश बनाना, (iii) निर्दिष्ट पीरिऑडिकल्स के सर्कुलेशन के आंकड़ों की पुष्टि करना, और (iv) पंजीकरण को संशोधित, निलंबित या रद्द करना।

बिल पर पीआरएस के सारांश के लिए कृपया देखें।

डाकघर के कामकाज को रेगुलेट करने वाले बिल को संसद ने पारित किया

डाकघर बिल, 2023 को संसद में पारित कर दिया गया।[56] यह भारतीय डाकघर एक्ट, 1898 को निरस्त करता है।[57] एक्ट डाक घर के कामकाज से संबंधित मामलों के लिए प्रावधान करता है। बिल की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **केंद्र सरकार के विशेष विशेषाधिकार**: एक्ट में प्रावधान है कि जहां भी केंद्र सरकार डाकघर स्थापित करती है, उसे डाक द्वारा पत्र भेजने के साथ-साथ पत्र प्राप्त करने, एकत्र करने, भेजने और वितरित करने जैसी आकस्मिक सेवाओं का विशेष विशेषाधिकार होगा। बिल में ऐसे विशेषाधिकार शामिल नहीं हैं। एक्ट केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार डाक टिकट जारी करने का प्रावधान करता है। बिल में यह भी कहा गया है कि डाकघर को डाक टिकट जारी करने का विशेष विशेषाधिकार होगा।
- **शिपमेंट्स को इंटरसेप्ट करने की शक्तियां**: एक्ट कुछ आधार पर पोस्ट के माध्यम से भेजे जाने वाले शिपमेंट के इंटरसेप्शन की अनुमति देता है। किसी भी सार्वजनिक आपातकाल की स्थिति में, या सार्वजनिक सुरक्षा या शांति के हित में इंटरसेप्शन किया जा सकता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों या उनके द्वारा विशेष रूप से अधिकृत कोई अधिकारी यह इंटरसेप्शन कर सकते हैं।
- बिल में प्रावधान है कि डाक के माध्यम से भेजे जाने वाले शिपमेंट को निम्नलिखित आधार पर इंटरसेप्ट किया जा सकता है: (i) राज्य की सुरक्षा, (ii) विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, (iii) सार्वजनिक व्यवस्था, आपातकाल, या सार्वजनिक सुरक्षा, और (iv) बिल या किसी अन्य कानून के प्रावधानों का उल्लंघन। एक अधिसूचना के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा अधिकार प्राप्त अधिकारी इंटरसेप्शन को अंजाम दे सकता है।
- **अपराध और सजा को हटाना**: एक्ट विभिन्न अपराधों और दंडों को निर्दिष्ट करता है जैसे डाक वस्तुओं की चोरी, हेराफेरी या उन्हें नष्ट करना। जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) एक्ट, 2023 सभी अपराधों और दंडों को हटाने के लिए भारतीय डाक घर एक्ट, 1898 में संशोधन करता है।[58] बिल एक को छोड़कर किसी भी अपराध या परिणाम का प्रावधान नहीं करता है। अगर उपयोगकर्ता किसी राशि का भुगतान नहीं करता या

उसे नजरंदाज करता है, तो वह राशि भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूली योग्य होगी।

बिल पर पीआरएस के विश्लेषण के लिए कृपया देखें।

शिक्षा

Rutvik Upadhyaya (rutvik@prsindia.org)

तेलंगाना में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने वाला बिल संसद में पारित

केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) बिल, 2023 को संसद में पारित कर दिया गया।[59] बिल केंद्रीय विश्वविद्यालय एक्ट, 2009 में संशोधन करता है, जो विभिन्न राज्यों में शिक्षण और अनुसंधान के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करता है।

तेलंगाना में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय: बिल तेलंगाना में एक केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना करता है। इसका नाम 'सम्मक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय' रखा जाएगा। इसका क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र तेलंगाना तक विस्तारित होगा। यह मुख्य रूप से भारत की जनजातीय आबादी के लिए उच्च शिक्षा और अनुसंधान सुविधाओं का मार्ग प्रदान करेगा। उल्लेखनीय है कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन एक्ट, 2014 में प्रावधान है कि केंद्र सरकार तेलंगाना राज्य में एक जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करेगी।

बिल पर पीआरएस के सारांश के लिए कृपया देखें।

स्टैंडिंग कमिटी ने भारत में अनुसंधान आधारित शिक्षा पर रिपोर्ट पेश की

शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा और खेल संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (चेयर: श्री विवेक ठाकुर) ने 'विज्ञान और संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान आधारित शिक्षा और अनुसंधान परिदृश्य' पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।[60] कमिटी ने उच्च शिक्षा और संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान की स्थिति की समीक्षा की है। कमिटी के प्रमुख सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **ओवरहेड्स**: कमिटी ने कहा कि रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे लेबोरेट्रीज़ और कंप्यूटर को बरकरार रखने की लागत काफी है। उसने कहा कि सरकार अनुसंधान के लिए जितनी धनराशि संवितरित करती है, वह वास्तविक परिचालन व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके मद्देनजर कमिटी ने सुझाव दिया कि पब्लिक फंडिंग एजेंसियां इस इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और रखरखाव के लिए अतिरिक्त धन आवंटित करें। उसने अनुसंधान की परिचालन लागत को पूरा करने के लिए व्यवस्थित सहायता योजना बनाने का भी सुझाव दिया।
- **नॉलेज-एक्सचेंज**: कमिटी ने सुझाव दिया कि पुराने: (i) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), (ii) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), और (iii) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर), अपने नए समकक्ष अनुसंधान संस्थानों का मार्गदर्शन करें। कमिटी ने प्रतिष्ठित और सुस्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालयों को भी यह सुझाव दिया जो अनुसंधान कार्य कर रहे हैं। इस मेंटरशिप में नॉलेज-एक्सचेंज, संसाधनों का साझाकरण और अनुसंधान परियोजनाओं में सहयोग शामिल होगा। इस सहयोग से देश के साथ-साथ नए संस्थानों की अनुसंधान क्षमताओं और मानकों में सुधार होगा।
- **प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो**: फेलोशिप का उद्देश्य भारत में अनुसंधान के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रतिभा की पहचान करना और उसे आकर्षित करना है। यह प्रति वर्ष 70,000 - 80,000 रुपए की फ़ेलोशिप प्रदान करता है, और हर साल दो लाख रुपए का अनुसंधान अनुदान प्रदान करता है। कमिटी ने कहा किया कि 2018 से अब तक लगभग 3,700 विद्यार्थियों को फेलोशिप दी गई है। उसने फेलोशिप की संख्या और संवितरित अनुदान में वृद्धि करने का सुझाव दिया है।
- **अंतरिक्ष अनुसंधान**: कमिटी ने कहा कि अंतरिक्ष अनुसंधान में निवेश करने से न केवल तकनीकी प्रगति होती है बल्कि प्राकृतिक संसाधनों की निगरानी में सुधार करके विकास संबंधी चुनौतियों का समाधान करने में भी मदद मिलती है। उसने निम्नलिखित सुझाव दिए: (i) अंतरिक्ष विज्ञान, खगोल भौतिकी और संबंधित क्षेत्रों में विशेष पाठ्यक्रम शुरू करना, (ii) विश्वविद्यालयों और अंतरिक्ष अनुसंधान संगठनों के बीच सहयोग स्थापित करना, और (iii) इंटर्नशिप, कार्यशालाओं

और आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से अंतरिक्ष अनुसंधान में रुचि पैदा करना।

शिपिंग

Tanvi Vipra (tanvi@prsindia.org)

2047 के लिए लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और शिपिंग पर विज़न दस्तावेज़ जारी

बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और शिपिंग के लिए अमृत काल विजन 2047 जारी किया है।[61] इस दस्तावेज़ का उद्देश्य समुद्री गवर्नेंस को बढ़ावा देना है जो हितधारकों, प्रशासनिक अधिकारियों और तटीय समुदायों के बीच समन्वय सुनिश्चित करता है।

इसमें 11 प्रमुख विषयों को चिन्हित किया गया है, जिसके अंतर्गत कार्रवाई बिंदु विकसित किए गए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) भारत के टन भार को बढ़ाना, (ii) प्रौद्योगिकी और नवाचार के माध्यम से दक्षता बढ़ाना, (iii) विश्व स्तरीय बंदरगाहों का विकास करना, (iv) जहाज निर्माण, मरम्मत और रीसाइकिलिंग में विश्व स्तर पर बड़ी भूमिका निभाना, (v) तटीय नौवहन और अंतर्देशीय जल परिवहन में हिस्सेदारी बढ़ाना, और (vi) महासागर, तटीय और नदी क्रूज क्षेत्र को बढ़ावा देना।

दस्तावेज़ में अमृत काल विजन 2047 के लिए रणनीतिक आकांक्षाएं भी बताई गई हैं। इनमें से कुछ नीचे सूचीबद्ध हैं:

तालिका 2: लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और शिपिंग के लिए अमृत काल विजन 2047 के तहत कुछ रणनीतिक आकांक्षाएं

मानदंड	मौजूदा स्थिति	2047 के लक्ष्य
कार्बन तटस्थ बंदरगाह	0	14
एशिया प्रशांत क्षेत्र में यात्री संख्या के मामले में भारत का स्थान	4th	1st
जहाज रीसाइकिलिंग में वैश्विक रैंक	2nd	1st
जहाज निर्माण में वैश्विक रैंक	22nd	टॉप 5
क्रूज़ टर्मिनलों की संख्या	6	25
परिचालन जलमार्गों की संख्या	22	50+
ट्रांस-शिपमेंट हब की संख्या	1	3
नये प्रमुख बंदरगाहों की संख्या	0	2
जस्ट-इन-टाइम आगमन वाले बंदरगाह	0%	100%
जलमार्गों द्वारा नियंत्रित कार्गो की मात्रा*	109	500 से अधिक
कुल बंदरगाह प्रबंधन क्षमता*	2,500+	10,000+

नोट: * प्रति वर्ष मिलियन मीट्रिक टन को संदर्भित करता है।
स्रोत: बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय; पीआरएस।

स्वास्थ्य

Rutvik Upadhyaya (rutvik@prsindia.org)

स्टैंडिंग कमिटी ने आयुष्मान भारत पर रिपोर्ट सौंपी

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (चेयर: श्री भुवनेश्वर कलिता) ने 'आयुष्मान भारत के कार्यान्वयन' पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।[62] कमिटी ने आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) पर टिप्पणी की है। एबी-पीएमजेएवाई का लक्ष्य माध्यमिक और तृतीयक स्तर की स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाले अस्पतालों में भर्ती के लिए प्रति वर्ष प्रति परिवार पांच लाख रुपए की वित्तीय सहायता देना है। सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना, 2011 के आधार पर यह योजना लगभग 11 करोड़ गरीब और कमजोर परिवारों को कवर करती है। कमिटी के प्रमुख निष्कर्षों और सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **आवंटन**: कमिटी ने सकल स्वास्थ्य व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के 2.1% के मौजूदा स्तर से बढ़ाने का सुझाव दिया। उसने स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर तक

पहुंच और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उपलब्ध धन के उपयोग में सुधार पर भी जोर दिया गया।

- कमिटी ने कहा कि 2022-23 को छोड़कर, एबी-पीएमजेएवाई के तहत धनराशि का कम उपयोग किया गया था। उसने कहा कि केंद्रीय हिस्सेदारी के रूप में 6,000-7,000 करोड़ रुपए का वार्षिक आवंटन 33 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए पर्याप्त नहीं है। उसने निम्नलिखित सुझाव दिए: (i) योजना का बजट आवंटन बढ़ाना, और (ii) स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की पुरानी योजनाओं को एबी-पीएमजेएवाई में शामिल करना।
- **लाभार्थी**: कमिटी ने सुझाव दिया कि पीएमजेएवाई में लाभार्थियों को शामिल करने के लिए अमेरिका के एफोर्डेबल केयर एक्ट के पहलुओं पर विचार किया जाए। इन पहलुओं में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले वर्गों को शामिल करना, (ii) कर्मचारियों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए 'इंप्लॉयर मैन्डेट' की शुरुआत करना, और (iii) पीएमजेएवाई में बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ी योजनाओं को शामिल करना।
- **एंपैनेलमेंट**: पीएमजेएवाई के तहत, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश अपने अधिकार क्षेत्र के सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को सूचीबद्ध कर सकते हैं। कमिटी ने कहा कि योजना के तहत सूचीबद्ध स्वास्थ्य सेवा प्रदाता: (i) राज्यों में असमान रूप से वितरित थे, (ii) क्षमता कम थी, और कई बड़े अस्पताल योजना के तहत सूचीबद्ध नहीं थे, और (iii) विस्तृत सुविधाओं का अभाव था। कमिटी ने उन अस्पतालों को अनिवार्य रूप से सूचीबद्ध करने का सुझाव दिया जो: (i) कर लाभ प्राप्त करते हैं, (ii) भूमि अनुदान प्राप्त कर चुके हैं, या (iii) मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध हैं।

उद्योग

Pratinav Damani (pratinav@prsindia.org)

ईवी के प्रोत्साहन पर रिपोर्ट जारी

उद्योग संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (चेयर: श्री तिरुचि शिवा) ने 'देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन' पर अपनी रिपोर्ट पेश की।[63] कमिटी के मुख्य निष्कर्षों और सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **फेम योजना**: 2015 में भारत में फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्यूफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक (और हाइब्रिड) वेहिकल (फेम) योजना को शुरू किया गया था। फेम-II का उद्देश्य अग्रिम खरीद प्रोत्साहन की पेशकश और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना करके इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों (ईवी) को तेजी से अपनाने को प्रोत्साहित करना है। कमिटी ने कहा कि फेम-II के तहत सहयोग प्राप्त वाहनों की संख्या प्रारंभिक लक्ष्यों की तुलना में कम हो गई है। कमिटी ने कहा कि अधिक संख्या में ईवी को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। इस प्रकार कमिटी ने इस योजना को कम से कम तीन साल और बढ़ाने और इसके दायरे को व्यापक बनाने का सुझाव दिया। उसने योजना के तहत अधिक चार-पहिया ईवी को सहयोग देने का सुझाव दिया जिसकी सीमा वाहन की लागत और बैटरी क्षमता पर आधारित हो।
- **चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर**: कमिटी ने कहा कि फेम-II के तहत 22,000 चार्जिंग स्टेशन स्वीकृत किए गए हैं; हालांकि 7,432 स्थापित किए गए हैं। इस प्रकार यह सुझाव दिया गया कि अधिक चार्जिंग स्टेशन बनाए जाने चाहिए। यह सुझाव दिया गया कि व्यक्तिगत निवेशकों, महिला स्वयं सहायता समूहों और सहकारी समितियों को सुनिश्चित रिटर्न की पेशकश करके चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना करने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कमिटी ने सुझाव दिया कि सार्वजनिक उपक्रमों और सरकारी संस्थानों को अपने परिसरों में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने चाहिए। कमिटी ने भारी उद्योग मंत्रालय को बैटरी मानकीकरण की व्यावहारिकता पर एक अध्ययन करने और बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी नीति तैयार करने का भी सुझाव दिया।
- **ईवी की लागत**: कमिटी ने कहा कि इंटरनल कंबशन इंजन वाले वाहनों की तुलना में ईवी के ओनरशिप की लागत अभी भी तुलनात्मक रूप से ज्यादा है। कमिटी ने कहा कि इनकम टैक्स एक्ट, 1961 व्यक्तियों को ईवी खरीद ऋण पर भुगतान

किए गए ब्याज पर कर बचत का दावा करने की अनुमति देता है। हालांकि यह लाभ 31 मार्च, 2023 तक स्वीकृत ऋणों तक ही सीमित था। कमिटी ने इस लाभ को कम से कम 31 मार्च, 2025 तक बढ़ाने का सुझाव दिया। कमिटी ने गौर किया कि ईवी खरीद की लगभग आधी लागत बैटरी की वजह से होती है। उसने केंद्र सरकार को बैटरी पर जीएसटी कम करने का सुझाव दिया है।

रिपोर्ट पर पीआरएस के सारांश के लिए कृपया देखें।

श्रम

Tanvi Vipra (tanvi@prsindia.org)

स्टैंडिंग कमिटी ने राष्ट्रीय बाल श्रम नीति की समीक्षा पर अपनी रिपोर्ट सौंपी

श्रम, कपड़ा और कौशल विकास संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (चेयर: श्री भर्तृहरि महताब) ने 'राष्ट्रीय बाल श्रम नीति- एक आकलन' पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।[64] कमिटी ने कई सुझाव दिए हैं जोकि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बाल श्रम को समाप्त करने से संबंधित हैं। कमिटी के मुख्य निष्कर्षों और सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **बाल श्रम की व्यापकता**:2011 की जनगणना के अनुसार, जो नवीनतम उपलब्ध आंकड़े हैं, 5-15 वर्ष के आयु वर्ग में लगभग एक करोड़ श्रमशील बच्चे हैं। कमिटी ने सुझाव दिया कि विभिन्न मंत्रालय बाल श्रमिकों की संख्या का अनुमान लगाने हेतु समय-समय पर समन्वित रूप से सर्वेक्षण करें। बच्चे आम तौर पर गैराज, ईंट भट्ठों और निर्माण स्थलों जैसे असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। कुछ इस्टैबलिशमेंट्स मैन्युअल काम को ठेकेदारों को आउटसोर्स करते हैं। अगर ठेकेदार बाल मजदूरों को काम पर रखते हैं, तो मुख्य नियोक्ता को जवाबदेह नहीं ठहराया जाता है। कमिटी ने सुझाव दिया कि ऐसे मामलों में प्रमुख नियोक्ता को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।
- **बाल श्रम के मामलों को रोकना**: कमिटी ने कहा कि सामाजिक न्याय मंत्रालय को बाल श्रम को खत्म करने में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। उसने कहा कि आर्थिक उत्थान अंततः बच्चों को मजदूरी करने से रोकेगा। कमिटी ने मंत्रालय की मौजूदा योजनाओं को मजबूत करने के लिए कई सुझाव दिए हैं। इन सुझावों में हाशिए पर रहने वाले बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग देना और नशीले पदार्थों के व्यसन की समस्या वाले बच्चों का पुनर्वास शामिल है।
- **बाल मजदूरों को बचाना**: पिछले पांच वर्षों में बाल श्रम में लगे लगभग दो लाख बच्चों को रेस्क्यू किया गया है। कमिटी ने कहा कि इसकी तुलना में बहुत कम एफआईआर दर्ज की गईं और बहुत कम बच्चों को बाल कल्याण समितियों (किशोर न्याय एक्ट, 2015 के तहत जरूरी) के सामने पेश किया गया। कमिटी ने एफआईआर दर्ज न करने वाले पुलिस अधिकारियों को दंडित करने का सुझाव दिया। यौन अपराधों से बाल संरक्षण एक्ट, 2012 में भी ऐसा ही प्रावधान है।

रिपोर्ट पर पीआरएस के सारांश के लिए कृपया देखें।

आवासन और शहरी मामले

Rutvik Upadhyaya (rutvik@prsindia.org)

अनाधिकृत विकास को सुरक्षित रखने वाले कानून की वैधता बढ़ाई गई

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कानून (विशेष प्रावधान) दूसरा (संशोधन) बिल, 2023 को संसद में पारित किया गया।[65] बिल दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कानून (विशेष प्रावधान) दूसरा एक्ट, 2011 में संशोधन करता है।[66] एक्ट केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा अनधिकृत विकास और अतिक्रमण को दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षित करता है। इनमें स्लम निवासी, फेरीवाले, अनाधिकृत कालोनियां, स्कूल, धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थान और कृषि गोदाम शामिल हैं। इन मुद्दों के हल करने के लिए केंद्र सरकार को कुछ उपाय करने की आवश्यकता है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) मानदंडों, नीति दिशानिर्देशों और रणनीतियों को अंतिम रूप देना, और (ii) नई जगह पर बसाने और पुनर्वास के लिए सुव्यवस्थित तरीके से प्रबंध करना।

एक्ट शुरू में 31 दिसंबर, 2014 तक वैध था, बाद के

संशोधनों के साथ इसे 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ा दिया गया। बिल में इस वैधता को 31 दिसंबर, 2026 तक बढ़ा दिया गया है।

बिल पर पीआरएस के सारांश के लिए कृपया देखें।

खाद्य और सार्वजनिक वितरण

Tanvi Vipra (tanvi@prsindia.org)

कैबिनेट ने खाद्यान्नों की पैकेजिंग के लिए जूट बैग के अनिवार्य उपयोग को मंज़ूरी दी

आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने पैकेजिंग में जूट के अनिवार्य उपयोग के मानदंडों को मंजूरी दे दी है।[67] इन् मानदंडों को जूट पैकेजिंग सामग्री (वस्तुओं की पैकेजिंग में अनिवार्य उपयोग) एक्ट, 1987 के तहत बनाया गया है।[68] पैकेजिंग मानदंडों के अनुसार, सभी खाद्यान्न और 20% चीनी को अनिवार्य रूप से जूट बैग में पैक किया जाना चाहिए। ये मानदंड जूट वर्ष 2023-24, यानी जुलाई 2023 से जून 2024 तक लागू होंगे।

रसायन और उर्वरक

Tanvi Vipra (tanvi@prsindia.org)

कीटनाशकों के प्रोत्साहन और विकास पर स्टैंडिंग कमिटी ने रिपोर्ट जारी की

रसायन एवं उर्वरक संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (चेयर: डॉ. शशि थरूर) ने 'कीटनाशक- सुरक्षित उपयोग सहित प्रोत्साहन और विकास- कीटनाशकों के लिए लाइसेंस व्यवस्था' पर अपनी रिपोर्ट पेश की।[69] कीटनाशक, यानी पेस्टिसाइड्स मोटे तौर पर चार प्रकार के होते हैं: कृमिनाशक (इंसेक्टिसाइड्स), कवकनाशी (फंगीसाइड्स), शाकनाशी (हर्बिसाइड्स) और जैव कीटनाशक (बायो-पेस्टिसाइड्स)। शाकनाशी खरपतवारों की वृद्धि को खत्म करते/उन्हें नियंत्रित करते हैं, और बाजार में इनकी हिस्सेदारी सबसे अधिक 44% है। इसके बाद कवकनाशी (27%) और कृमिनाशकों (22%) का स्थान आता है। कमिटी के मुख्य निष्कर्षों और सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **कानून को प्रभावी बनाने के लिए उपयुक्त निकाय**: कीटनाशकों को इंसेक्टिसाइड्स एक्ट, 1968 के तहत रेगुलेट किया जाता है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग इसे लागू करता है, और इसे रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के दायरे से बाहर रखा गया है। कमिटी ने कहा कि रसायन विभाग कीटनाशकों को रेगुलेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यह विभाग समय-समय पर कृषि रसायन उद्योग से संबंधित मामलों पर काम करता है। कमिटी ने सुझाव दिया कि रसायन विभाग इस मामले को उचित मंच पर ले जाए ताकि कम से कम उन प्रावधानों को लागू किया जा सके जो कृषि रसायनों से संबंधित हैं। कीटनाशकों को मोटे तौर पर कृषि रसायन कहा जाता है।
- **विभिन्न विभागों के बीच समन्वय**: कृषि विभाग हानिकारक कीटनाशकों के उपयोग और निषेध की समीक्षा करने के लिए जिम्मेदार है। अब तक उसने 46 कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाया है या चरणबद्ध तरीके से उसके इस्तेमाल पर रोक लगाई है। रसायन विभाग कृषि रसायनों को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। कमिटी ने कहा कि दोनों विभागों को ऐसे मामलों से बचने के लिए निकट समन्वय की आवश्यकता है, जहां एक विभाग इसके उपयोग को बढ़ावा देता है और दूसरा इस पर प्रतिबंध लगाता है।
- **कीटनाशकों के उपयोग को प्रोत्साहित करना**: भारत में कीटनाशकों की खपत 0.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, जबकि अन्य देशों में यह 17 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक है। ऐसा इसके बावजूद है कि भारत कृषि उत्पादों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। कमिटी ने कहा कि उसकी तुलना में भारत में कीटनाशकों का उतना उपयोग नहीं किया जाता, जितनी बाजार क्षमता है। खाद्य पदार्थों की बढ़ती मांग के साथ, कीटनाशक प्रति हेक्टेयर औसत फसल उपज बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कमिटी ने सुझाव दिया कि विभाग जापान और चीन में कृषि पद्धतियों का अध्ययन करे और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पहल करे। विभाग ने कहा है कि चीन और जापान

जैसे देशों में कीटनाशकों का उपयोग उनकी कृषि पद्धतियों के अधिक गहन होने के कारण है।

रिपोर्ट पर पीआरएस के सारांश के लिए कृपया देखें।

रक्षा

Tushar Chakrabarty (tushar@prsindia.org)

स्टैंडिंग कमिटी ने डीआरडीओ के कामकाज पर अपनी रिपोर्ट सौंपी

रक्षा संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (चेयर: श्री जुआल ओरम) ने 'रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) के कामकाज की समीक्षा' पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।[70] डीआरडीओ सशस्त्र सेनाओं के लिए स्वदेशी रक्षा प्रणालियों के विकास का काम करता है। कमिटी के मुख्य निष्कर्षों और सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **अनुसंधान का बजट**: कमिटी ने कहा कि पिछले दो वर्षों में रक्षा विभाग ने अनुसंधान और विकास के लिए जितनी राशि की मांग की थी, आवंटित राशि उससे कम रही है। कुल रक्षा व्यय में डीआरडीओ के व्यय का हिस्सा भी लगातार कम हुआ है। कमिटी ने सुझाव दिया कि अनुसंधान और विकास के लिए डीआरडीओ को पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। अगर भारत को विश्व में लड़ाई के साजो-सामान यानी आर्मामेंट और हथियार प्रणालियों में अगुवाई करनी है तो डीआरडीओ के बजटीय अनुदान को बढ़ाया जाना चाहिए। कमिटी ने डीआरडीओ में मौजूदा अनुसंधान और विकास गतिविधियों के लिए धन के उपयोग के संबंध में संदेह जताया। उसने कहा कि जब सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम अपग्रेड्स के लिए डीआरडीओ से संपर्क करते हैं, तो उनके पास अनुसंधान और विकास के लिए इन-हाउस केंद्र भी होने चाहिए।
- **लंबित परियोजनाएं**: कमिटी ने चिंता व्यक्त की कि 55 परियोजनाओं में से 23 समय पर पूरी नहीं हो सकीं। कमिटी ने यह भी कहा कि पहले भी डीआरडीओ की कई परियोजनाएं समय और लागत बढ़ने से प्रभावित हुई हैं। गुणात्मक आवश्यकताओं में परिवर्तन या तकनीकी रूप से अप्रचलित होने के कारण कुछ परियोजनाएं बंद भी कर दी गईं। डीआरडीओ के अनुसार, परियोजनाओं के बंद होने के कारणों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) अप्रत्याशित तकनीकी जटिलताएं, (ii) तकनीकी नामंजूरियां, और (iii) पूंजीगत उपकरणों की कीमतों का बढ़ना। कमिटी ने कहा कि परियोजनाओं की विभिन्न चरणों में समीक्षा की जा रही थी लेकिन इसके बावजूद उन्हें बंद कर दिया गया। उसने सुझाव दिया कि समीक्षा की पद्धति पर दोबारा विचार किया जाए क्योंकि कुछ मामलों में इनके कारण ही देरी होती है। इन समीक्षाओं में तकनीकी कर्मचारियों और मानक मानदंडों को शामिल किया जाना चाहिए ताकि देरी और लागत वृद्धि से बचा जा सके।
- **स्वदेशीकरण**: डीआरडीओ दूसरे इनपुट्स के साथ-साथ उभरते खतरे के आधार पर नई तकनीक और सिस्टम्स को विकसित करने के लिए परियोजनाएं शुरू करता है। हालांकि भारत अभी भी मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स के लिए विदेशों पर निर्भर है। स्वदेशीकरण की वर्तमान दर को देखते हुए भारत अगले 10 वर्षों में 80%-90% स्वदेशीकरण हासिल कर सकता है। कमिटी ने कहा कि आयातित हथियार प्रणालियों पर निरंतर निर्भरता मेक इन इंडिया पहल को हतोत्साहित कर सकती है। उसने निम्नलिखित सुझाव दिए: (i) रक्षा योजना में अधिक पेशेवर रवैया, (ii) अनुसंधान और विकास का प्रबंधन, और (iii) आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता।

रिपोर्ट पर पीआरएस के सारांश के लिए कृपया देखें।

विदेशी मामले

जी-20 पर कमिटी की रिपोर्ट जारी

Pratinav Damani (pratinav@prsindia.org)

विदेश मामलों से संबंधित स्टैंडिंग कमिटी (चेयर: श्री पी.पी. चौधरी) ने 'जी20 देशों के साथ भारत की भागीदारी' पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।[71] भारत ने 9-10 सितंबर, 2023 को 18वें जी-20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। प्रमुख निष्कर्षों और सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **क्रिप्टो एसेट्स फ्रेमवर्क**: कमिटी ने कहा कि अधिकांश जी-20 देशों के पास क्रिप्टो एसेट्स के लिए व्यापक रेगुलेटरी ढांचा नहीं है। जी20 देशों ने क्रिप्टो एसेट्स के रेगुलेटरी ढांचे पर आईएमएफ और वित्तीय स्थिरता बोर्ड के एक सिंथेसिस पेपर को मंजूर किया है। कमिटी ने सरकार से पेपर के सुझावों का मूल्यांकन करने और क्रिप्टो एसेट्स के लिए एक व्यापक रेगुलेटरी ढांचा लाने का अनुरोध किया। कमिटी ने सरकार से जी20 सदस्यों के साथ एक क्रिप्टो एसेट्स रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क शुरू करने का भी आग्रह किया। इससे यह सुनिश्चित होगा कि करों से बचने के लिए गैर-वित्तीय संपत्तियों का उपयोग नहीं किया जाएगा।
- **भारत-पश्चिम एशिया-यूरोपीय गलियारा** (**आईएमईसी**): आईएमईसी एक नेटवर्क है जिसका लक्ष्य यूरोप और एशिया के बीच वस्तुओं और सेवाओं को जोड़ना है। इसे भारत में जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान शुरू किया गया था। आईएमईसी स्वच्छ हाइड्रोजन निर्यात के लिए एक रेल गलियारे, डिजिटल और इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी और पाइपलाइनों की परिकल्पना करता है। कमिटी ने सुझाव दिया कि एशिया, अरब की खाड़ी और यूरोप के बीच आर्थिक एकीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए गलियारे को समयसीमा के अनुसार चालू किया जाना चाहिए।
- **ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस**: ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को जैव ईंधन के उपयोग में तेजी लाने के इरादे से जी20 शिखर सम्मेलन के मौके पर शुरू किया गया था। इसे निम्नलिखित के माध्यम से हासिल करने का इरादा है: (i) प्रौद्योगिकी की प्रगति, (ii) टिकाऊ जैव ईंधन के उपयोग को तेज करना, और (iii) मानक और प्रमाणन स्थापित करना। कमिटी ने कहा कि इथेनॉल बाजार के तेज गति से बढ़ने का अनुमान है जिससे भारत के लिए अवसर पैदा होंगे। उसने सुझाव दिया कि सरकार सदस्यों के साथ लगातार जुड़कर गठबंधन के रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती का समाधान करे।

स्टैंडिंग कमिटी ने भारत और खाड़ी सहयोग परिषद पर रिपोर्ट सौंपी

Arpita Mallick (arpita@prsindia.org)

विदेश मामलों से संबंधित स्टैंडिंग कमिटी (चेयर: श्री पी.पी. चौधरी) ने 'भारत और खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी)- सहयोग की रूपरेखा' पर अपनी रिपोर्ट सौंपी।[72] जीसीसी संगठन में छह देश (सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, कुवैत, कतर और बहरीन) शामिल हैं। संगठन अपने सदस्यों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में समन्वय और एकीकरण का प्रयास करता है। कमिटी के मुख्य सुझावों और निष्कर्षों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना**: कमिटी ने कहा कि जीसीसी भारत के तेल आयात में 35% और गैस आयात में 70% योगदान देता है। भारत अपने रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व (एसपीआर) के दूसरे चरण का क्रियान्वयन कर रहा है। कई जीसीसी देशों ने इसमें अपनी दिलचस्पी दिखाई है। कमिटी ने सुझाव दिया कि सरकार को जीसीसी देशों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना चाहिए ताकि एसपीआर के दूसरे चरण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए सरकार को और अधिक समझौतों पर हस्ताक्षर करने चाहिए और इन देशों के साथ सहयोग करना चाहिए।
- **अक्षय ऊर्जा**: जीसीसी देश भारत में प्राकृतिक गैस, हरित हाइड्रोजन और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में निवेश करना चाहते हैं। भारतीय के पीएसयूज़ (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों) ने जीसीसी देशों में हरित ऊर्जा/प्रौद्योगिकियों में भी निवेश किया है। कमिटी ने सुझाव दिया कि भारत के पीएसयूज़ को जीसीसी देशों में इन क्षेत्रों में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। उसने यह भी कहा कि कुवैत और कतर को अभी भी अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) में शामिल होना बाकी है। कमिटी ने सुझाव दिया कि इन दोनों देशों को जल्द ही आईएसए में शामिल होने के लिए मनाने का प्रयास किया जाना चाहिए।

रिपोर्ट पर पीआरएस के सारांश के लिए कृपया देखें।

पेट्रोलियम

Tushar Chakrabarty (tushar@prsindia.org)

स्टैंडिंग कमिटी ने कच्चे तेल के आयात पर रिपोर्ट सौंपी

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (चेयर: श्री रमेश बिधूड़ी) ने 'कच्चे तेल की आयात नीति की समीक्षा' पर अपनी रिपोर्ट सौंपी।[73] कमिटी के मुख्य निष्कर्षों और सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **स्रोतों का विविधीकरण**: भारत का अधिकांश हाइड्रोकार्बन आयात पश्चिम एशिया से होता है जो भू-राजनीतिक तनाव से ग्रस्त है। इससे आपूर्ति बाधित हो सकती है। कमिटी ने कहा कि कच्चे तेल और गैस आपूर्ति के लिए किसी भी क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता भारत की ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है। उसने सुझाव दिया कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय कच्चे तेल और गैस के आयात में विविधता लाने के लिए कदम उठाए।
- **आयात निर्भरता में कमी**: भारत ने 2022-23 में अपने कच्चे तेल की खपत का लगभग 87% आयात किया। कमिटी ने पाया कि भविष्य में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग बढ़ने की संभावना है। ऊर्जा के क्षेत्र में आयात पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार ने रोडमैप तैयार किया है। रोडमैप में निम्नलिखित प्रावधान हैं: (i) घरेलू उत्पादन बढ़ाना, (ii) जैव-ईंधन और अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देना, (iii) ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना और (iv) रिफाइनरी प्रक्रिया में सुधार। कमिटी ने सुझाव दिया कि मंत्रालय हरित हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक वाहनों और जैव-ईंधन को बढ़ावा दे। उसने सुझाव दिया कि मंत्रालय विशेषज्ञों का एक बहुविषयक समूह बनाए ताकि जीवाश्म ईंधन की मांग को कम करने के लिए नीतिगत उपाय किए जा सकें।
- **स्पॉट और टर्म कॉन्ट्रैक्ट**: कच्चे तेल के कॉन्ट्रैक्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट और स्पॉट टेंडर के माध्यम से दिए जाते हैं। टर्म कॉन्ट्रैक्ट ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करते हैं क्योंकि यह एक सहमत अवधि (एक वर्ष या अधिक के लिए) में सुनिश्चित मात्रा प्रदान करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रम स्पॉट खरीद करते हैं क्योंकि कई बार टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स उनकी जरूरतों को पूरा नहीं करते। आम तौर पर स्पॉट टेंडर टर्म कॉन्ट्रैक्ट की तुलना में सस्ते दामों पर उपलब्ध होते हैं। कमिटी ने कहा कि स्पॉट खरीद की हिस्सेदारी 2017-18 में 27.6% से बढ़कर 2022-23 में 35.1% हो गई है। उसने सुझाव दिया कि मंत्रालय को यह निर्धारित करने के लिए एक अध्ययन/ऑडिट करना चाहिए कि क्या स्पॉट टेंडर में खरीद से लागत कम होती है।

रिपोर्ट पर पीआरएस के सारांश के लिए कृपया देखें।

खनन

Mandvi Gaur (mandvi@prsindia.org)

रणनीतिक खनिजों की खोज के लिए निजी एजेंसियों की भागीदारी की योजना अधिसूचित

खान मंत्रालय ने महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की खोज के लिए निजी एजेंसियों की भागीदारी की योजना को अधिसूचित किया है।[74] महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों को खान और खनिज (विकास और रेगुलेशन) एक्ट, 1957 की अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है।[75] इनमें लिथियम, निकल, कोबाल्ट, सेलेनियम, प्लैटिनम और सोना शामिल हैं। यह योजना ऐसे खनिजों की खोज को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (एनएमईटी) के माध्यम से अन्वेषण कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराने का प्रयास करती है। योजना की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **मंजूरी की प्रक्रिया**: इच्छुक एजेंसियां भूविज्ञान डेटा के आधार पर अन्वेषण के लिए क्षेत्र का चयन कर सकती हैं और राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (एनएमईटी) को एक प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती हैं। आवेदन प्राप्त होने के एक महीने के भीतर, एनएमईटी प्रस्ताव को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और संबंधित राज्य सरकारों को उनकी टिप्पणियों के लिए भेज देगा। टिप्पणियां एक महीने के भीतर उपलब्ध कराई जानी चाहिए। एक बार टिप्पणियों की अवधि समाप्त हो जाने पर, एनएमईटी को 15 दिनों के भीतर सैद्धांतिक मंजूरी देनी होगी या आवेदनों को अस्वीकार करना होगा। सैद्धांतिक अनुमोदन पर एजेंसी को एनएमईटी की अंतिम

मंजूरी के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा।

- **खनिज कन्सेशंस से संबंधित नियम और शर्तें**: अन्वेषण के लिए मंजूरी खनन पट्टे सहित खनिज कन्सेशंस के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी। हालांकि एजेंसी उस ब्लॉक या उसके द्वारा खोजे गए किसी हिस्से पर खनिज कन्सेशंस की नीलामी में भाग ले सकती है। अगर अधिकृत एजेंसी से संबंधित कोई पक्ष, नीलामी में भाग ले रहा है तो उसे इसकी घोषणा पहले से करनी होगी।
- **अन्वेषण परियोजना के लिए अग्रिम भुगतान**: एनएमईटी इस योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं को स्थापित मानदंडों के अनुसार वित्त पोषित करेगा। इसमें इन अन्वेषण परियोजनाओं की जांच के विभिन्न चरणों जैसे रीकानिसन्स सर्वेक्षण, प्रारंभिक अन्वेषण, सामान्य अन्वेषण और विस्तृत अन्वेषण को शामिल किया जाएगा।[76] अधिकृत एजेंसी अग्रिम राशि के रूप में एनएमईटी से परियोजना लागत का 30% तक का लाभ उठा सकती है। एजेंसी को अग्रिम राशि प्राप्त करने के लिए उतनी ही राशि की बैंक गारंटी जमा करनी होगी।

कुछ रणनीतिक खनिजों के औसत बिक्री मूल्य को निर्दिष्ट करने के लिए ड्राफ्ट संशोधन जारी

खान मंत्रालय ने खनिज (परमाणु और हाइड्रो कार्बन ऊर्जा खनिज के अतिरिक्त) कन्सेशन नियम, 2016 में ड्राफ्ट संशोधनों को सार्वजनिक प्रतिक्रियाओं के लिए जारी किया है।[77,78] नियम लाइसेंस और पट्टे प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं और मानदंड निर्धारित करते हैं। ड्राफ्ट नियम खान और खनिज (विकास और रेगुलेशन) एक्ट, 1957 के तहत तैयार किए गए हैं।[75]

अक्टूबर 2023 में कुछ महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों के लिए औसत बिक्री मूल्य (एएसपी) की गणना के तरीके को निर्दिष्ट करने के लिए 2016 के नियमों में संशोधन किया गया था।[79] इनमें लिथियम, प्लैटिनम, दुर्लभ पृथ्वी तत्व और नाइओबियम शामिल हैं। ड्राफ्ट संशोधन कुछ अन्य महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों के लिए एएसपी की गणना के तरीके को निर्दिष्ट करने का प्रयास करते हैं। इनमें बेरिलियम, कैडमियम, गैलियम, सेलेनियम, टाइटेनियम और वैनेडियम शामिल हैं। एक्ट की अनुसूची में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों को निर्दिष्ट किया गया है। नीलामी प्रीमियम निर्धारित करने के लिए एएसपी एक प्रमुख मानदंड है।

ड्राफ्ट संशोधन में प्रावधान है कि निर्दिष्ट खनिजों के लिए औसत बिक्री मूल्य संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण या अन्य प्रतिष्ठित स्रोतों द्वारा प्रकाशित कीमतों पर आधारित होंगे। भारतीय खान ब्यूरो इन खनिजों के लिए एएसपी प्रकाशित करेगा। ड्राफ्ट संशोधन कुछ खनिजों के लिए संबंधित यौगिकों की कीमतों से अंतिम कीमत निर्धारित करने के लिए मल्टीप्लायर्स निर्दिष्ट करता है। इनमें टंगस्टन, बेरिलियम और टैंटलम शामिल हैं।

अपतटीय क्षेत्रों में खनिजों के लिए कन्सेशंस से संबंधित नियमों पर टिप्पणियां आमंत्रित

खान मंत्रालय ने दो ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं: (i) अपतटीय क्षेत्र खनिज (नीलामी) नियम, 2023 और (ii) अपतटीय क्षेत्र खनिज (खनिज संसाधनों का अस्तित्व) नियम, 2023। इन्हें अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और रेगुलेशन) एक्ट, 2002 के तहत जारी किया गया है।[80,81] यह एक्ट समुद्री क्षेत्रों में खनन को रेगुलेट करता है। ड्राफ्ट नियमों की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **कन्सेशन के आवंटन के लिए नीलामी**: अपतटीय क्षेत्रों में खनिजों के लिए निम्नलिखित कन्सेशन प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से दिए जाएंगे: (i) कंपोजिट लाइसेंस, जो अन्वेषण के साथ-साथ खनन के लिए अधिकार प्रदान करता है, और (ii) खनन करने के लिए उत्पादन पट्टा। इन कन्सेशन की नीलामी के लिए एक आरक्षित मूल्य निर्दिष्ट किया जाएगा। आरक्षित मूल्य प्रेषित खनिज के मूल्य के न्यूनतम प्रतिशत के अनुसार होगा। खनिज का मूल्य एक माह में डिस्पैच किए गए खनिजों के उत्पाद और भारतीय खान ब्यूरो द्वारा प्रकाशित खनिज के विक्रय मूल्य के बराबर होगा।
- **कन्सेशन के लिए क्षेत्रों को चिन्हित करना**: उस क्षेत्र के लिए उत्पादन पट्टा दिया जा सकता है जिसके लिए कम से कम सामान्य अन्वेषण पूरा

हो चुका है, और एक भूवैज्ञानिक अध्ययन रिपोर्ट तैयार की गई है। सामान्य अन्वेषण किसी खनिज भंडार की मुख्य भूवैज्ञानिक विशेषताएं स्थापित करता है। इसमें खनिज क्षेत्रों के आकार, आकृति और संरचना और खनिज भंडार की मात्रा और ग्रेड का प्रारंभिक अनुमान शामिल है।

- एक कंपोजिट लाइसेंस उस क्षेत्र के लिए दिया जा सकता है जिसके लिए: (i) कम से कम रीकानिसन्स सर्वेक्षण पूरा हो चुका है, या मौजूदा भूविज्ञान डेटा के आधार पर खनिज ब्लॉक की खनिज क्षमता की पहचान की गई है लेकिन संसाधन अभी तक स्थापित नहीं हुए हैं, और (ii) एक भूवैज्ञानिक अध्ययन रिपोर्ट तैयार की गई है। खनिज संसाधनों का पता लगाने के लिए किए जाने वाले प्रारंभिक सर्वेक्षण को रीकानिसन्स कहा जाता है।

25 जनवरी, 2024 तक टिप्पणियां आमंत्रित हैं।

पर्यावरण

Mandvi Gaur (mandvi@prsindia.org)

वन्य जीवन (संरक्षण) अंतरराष्ट्रीय नमूना व्यापार नियम, 2023 अधिसूचित

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कुछ पौधों और जानवरों के नमूनों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को रेगुलेट करने के लिए नियमों को अधिसूचित किया है।[82] ये नियम वन्य जीवन (संरक्षण) एक्ट, 1972 के तहत बनाए गए हैं।[83] यह एक्ट वैध परमिट या प्रमाण पत्र के अलावा, जंगली जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है। नियम ऐसे परमिट देने के लिए शर्तें निर्दिष्ट करते हैं। नियमों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- **परमिट की ट्रेडिंग**: लुप्तप्राय पौधों और जानवरों के नमूनों के आयात, निर्यात या पुनः निर्यात के लिए परमिट दिया जा सकता है। एक्ट के तहत स्थापित प्रबंधन प्राधिकरण इन परमिटों को देने के लिए जिम्मेदार होगा। एक आवेदन कानूनी खरीद प्रमाणपत्र जैसे दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। एक निर्यात और पुनः निर्यात परमिट छह महीने के लिए वैध होगा और एक आयात परमिट 12 महीने के लिए वैध होगा।
- **सर्वाइवल एसेसमेंट (जीवित रहने का आकलन) अध्ययन**: आयात परमिट देने से पहले प्रबंधन प्राधिकरण को किसी आवेदन को सर्वाइवल एसेसमेंट के लिए वैज्ञानिक प्राधिकरण के पास भेजना होगा और यह जांच करनी होगी है कि प्राप्तकर्ता नमूने की उचित देखभाल कर सकता है अथवा नहीं। वैज्ञानिक प्राधिकरण केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित एक शोध संस्थान है। निर्यात परमिट के मामले में, एशियाई हाथियों, भारतीय अजगर और गिब्बन जैसे निर्दिष्ट जानवरों के लिए सर्वाइवल एसेसमेंट किया जा सकता है, अगर ऐसा कोई अध्ययन पहले नहीं किया गया है। दोनों ही मामलों में, वैज्ञानिक प्राधिकरण को 30 दिनों के भीतर सलाह के साथ जवाब देना होगा।
- प्रबंधन प्राधिकरण को सलाह प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर या कुल मिलाकर 15 दिनों के भीतर आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करना होगा। नियम ऐसे देश में निर्यात पर रोक लगाते हैं जिसने लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन को स्वीकार नहीं किया है।
- **परमिट रद्द होना**: प्रबंधन प्राधिकरण निम्नलिखित आधारों पर परमिट रद्द कर सकता है: (i) नमूने का संभावित कारोबारी उपयोग, (ii) प्राप्तकर्ता द्वारा समुद्री कछुए और नदियों में मिलने वाली डॉल्फ़िन जैसी कुछ प्रजातियों की देखभाल न कर पाना, और (iii) धारीदार गंध बिलाव और पिग्मी दरियाई घोड़े जैसे जीवित नमूनों के प्रबंधन के दौरान जोखिम को कम न कर पाना।

उपभोक्ता मामले

Mandvi Gaur (mandvi@prsindia.org)

स्टैंडिंग कमिटी ने पूर्वोत्तर में उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा पर रिपोर्ट सौंपी

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (चेयर: सुश्री लॉकेट चटर्जी) ने

'उपभोक्ता अधिकार संरक्षण के क्षेत्र में पूर्वोत्तर में पहल' पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।[84] कमिटी के प्रमुख सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **उपभोक्ता संरक्षण परिषद**: उपभोक्ता संरक्षण परिषदें उपभोक्ता संरक्षण कानूनों की निगरानी और प्रवर्तन, उपभोक्ताओं को शिक्षित करके और उपभोक्ता संरक्षण मुद्दों पर सरकार को सलाह देकर उपभोक्ता हितों की रक्षा करती हैं। कमिटी ने गौर किया कि पूर्वोत्तर में राज्य और जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषदें कानून के तहत अपेक्षित कार्य नहीं कर रही हैं। उन्हें या तो स्थापित नहीं किया गया है या नियमित रूप से उनकी बैठक नहीं होती। उसने सुझाव दिया कि केंद्र सरकार प्रभावी तरीके से उनकी स्थापना और नियमित कामकाज सुनिश्चित करे।
- **उपभोक्ता आयोग**: केंद्र सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र में उपभोक्ता आयोगों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए दो योजनाएं चला रही है। विवादों को सुलझाने के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता आयोग स्थापित किए गए हैं। कमिटी ने गौर किया कि 2022-23 में केवल चार पूर्वोत्तर राज्यों ने इन योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता मांगी थी। उसने मंत्रालय को निम्नलिखित सुझाव दिए: (i) पूर्वोत्तर में उपभोक्ता आयोगों के कामकाज और बुनियादी ढांचे की उपलब्धता का आकलन करें, और (ii) योजनाओं के तहत आवश्यक केंद्रीय सहायता प्रदान करें।
- **लीगल मेट्रोलॉजी के लिए लैब**: भारत में लीगल मेट्रोलॉजी के लिए छह क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं हैं। लीगल मेट्रोलॉजी वजन और माप के मानकों को संदर्भित करता है। पूर्वोत्तर में केवल असम में ही ऐसी लैब है। पूर्वोत्तर के भौगोलिक आकार को ध्यान में रखते हुए कमिटी ने और अधिक प्रयोगशालाएं स्थापित करने का सुझाव दिया।

स्टैंडिंग कमिटी ने वेयरहाउसिंग अथॉरिटी के कामकाज पर रिपोर्ट सौंपी

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (चेयर: सुश्री लॉकेट चटर्जी) ने 'वेयरहाउसिंग विकास और रेगुलेटरी अथॉरिटी (डब्ल्यूडीआरए) की कार्यप्रणाली' पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।[85] डब्लूडीआरए एक वैधानिक निकाय है जो देश में वेयरहाउसिंग व्यवसाय के रेगुलेशन और विकास के लिए जिम्मेदार है। कमिटी के मुख्य निष्कर्षों और सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **पंजीकरण शुल्क में छूट**: जो गोदाम नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीद (एनडब्ल्यूआर) जारी करना चाहते हैं, उन्हें डब्ल्यूडीआरए के साथ पंजीकृत होना चाहिए। एनडब्ल्यूआर गोदाम में माल के स्टोरेज का संकेत देता है। यह भौतिक रूप से माल वितरित किए बिना स्वामित्व के हस्तांतरण की अनुमति देता है। गोदामों के पंजीकरण के लिए शुल्क लागू है। अक्टूबर 2025 तक केवल कृषि वस्तुओं को स्टोर करने वाले गोदामों के लिए यह शुल्क माफ कर दिया गया है। इसके विपरीत, गैर-कृषि वस्तुओं या कृषि और गैर-कृषि दोनों वस्तुओं का स्टोरेज करने वाले गोदामों को 50,000 रुपए से एक लाख रुपए के बीच पंजीकरण शुल्क देना होता है। कमिटी ने पंजीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए उनकी फीस माफ करने का सुझाव दिया।
- **क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करना**: कमिटी ने सुझाव दिया कि राज्य के वेयरहाउसिंग निगमों के साथ समन्वय बढ़ाने के लिए डब्ल्यूडीआरए के क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाएं।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग

Tanvi Vipra (tanvi@prsindia.org)

माल परिवहन वाहनों में वातानुकूलित केबिन अनिवार्य करने के लिए नियमों में संशोधन

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन किया है।[86,87] नियम मोटर वाहन एक्ट, 1988 के तहत बनाए गए हैं और वाहनों के परीक्षण और अनुमोदन का प्रावधान करते हैं।[88] नियमों में कहा गया है कि अक्टूबर 2025 या उसके बाद निर्मित निर्दिष्ट माल परिवहन वाहनों में वातानुकूलित केबिन होने चाहिए। निर्दिष्ट माल परिवहन वाहनों में ऐसे वाहन शामिल हैं जिनका वजन 3.5 से 12 टन के बीच है। ड्राइव अवे चेसिस के लिए, यानी, वाहन का फ्रेम जिसे चलाया जा सकता है,

चेसिस निर्माता को निर्दिष्ट मानकों के अनुसार एक एयर कंडीशनिंग सिस्टम फिट की आपूर्ति करनी होगी।

[1] Developments in India's Balance of Payments during the Second Quarter (July-September) of 2023-24, Reserve Bank of India, December 26, 2023, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PressRelease/PDFs/PR1541BOP2F8D9332E18B45B7A3CFEA09D087A8C6.PDF.

[2] The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, https://egazette.gov.in/(S(etn2xtmrt1tpds5cj4fflzmm))/ViewPDF.aspx

The Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, 2023, https://egazette.gov.in/(S(etn2xtmrt1tpds5cj4fflzmm))/ViewPDF.aspx

[4] The Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023, https://egazette.gov.in/(S(etn2xtmrt1tpds5cj4fflzmm))/ViewPDF.aspx

[5] The Indian Penal Code, 1860, https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/2263/1/aA1860-45.pdf

[6] The Code of Criminal Procedure, 1973, https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/15272/1/the_code_of_criminal_procedure%2C_1973.pdf.

[7] The Indian Evidence Act, 1872, https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/15351/1/iea_1872.pdf.

[8] Report No. 248, 'The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023', The Standing Committee on Home Affairs, Rajya Sabha, November 10, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_parliament/2023/SC_Report_Bharatiya_Nyaya_Sanhita_2023.pdf

[9] Report No. 248, 'The Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, 2023', The Standing Committee on Home Affairs, Rajya Sabha, November 10, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_parliament/2023/SC_Report_Bharatiya_Nagarik_Suraksha_Sanhita_2023.pdf

[10] Report No. 248, 'The Bhartiya Sakshya Bill, 2023', The Standing Committee on Home Affairs, Rajya Sabha, November 10, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_parliament/2023/SC_Report_Bharatiya_Sakshya_Bill_2023.pdf

[11] The Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Act, 2023, https://egazette.gov.in/(S(qhylxpamjdu1qk4giekgb2lq))/ViewPDF.aspx.

[12] The Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019, https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/12030/1/A2019-34.pdf.

[13] The Jammu and Kashmir Reorganisation (Second Amendment) Bill, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_parliament/2023/Jammu_and_Kashmir_Reorganisation_(Second_Amendment)_Bill_2023.pdf .

[14] The Jammu and Kashmir Reservation (Amendment) Act, 2023, https://egazette.gov.in/(S(qhylxpamjdu1qk4giekgb2lq))/ViewPDF.aspx.

[15] The Jammu and Kashmir Reservation Act, 2004, https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/16529/1/reservation_act%2C_2004.pdf.

[16] The Government of Union Territories Amendment Bill, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_parliament/2023/Government_of_Union_Territories_(Amendment)_Bill_2023.pdf

[17] The Government of Union Territories Act, 1963, https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/1546/1/A1963-20.pdf

[18] The Chief Election Commissioner And Other Election Commissioners (Appointment, Conditions Of Service And Term Of Office) Bill, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_parliament/2023/Bill_Text_Chief_Election_Commissioner_and_other_Election_Commissioners_Bill_2023.pdf.

[19] Amendments to the 2023 Bill, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_parliament/2023/Amendment%20to%20CEC%20Bill%202023.pdf.

[20] The Chief Election Commission (Conditions of Service of Election Commissioners and Transaction of Business) Act, 1991, https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/1965/1/A1991-11.pdf.

[21] The Repealing and Amending Bill 2022, http://164.100.47.4/BillsTexts/LSBillTexts/Asintroduced/290_2022_LS_Eng1219202255443PM.pdf.

[22] The Factoring Regulation Act, 2011,, https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/2116/1/AA2012__12.pdf.

[23] The Advocates (Amendment) Bill, 2023, https://sansad.in/getFile/BillsTexts/RSBillTexts/PassedRajyaSabha/advocate%20amend-E842023112014AM.pdf?source=legislation.

[24] The Advocates Act, 1961, https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/1631/1/A1961_25.pdf.

[25] The Legal Practitioners Act, 1879, https://lddashboard.legislative.gov.in/sites/default/files/A1879-18.pdf.

[26] Writ Petition (Civil) No. 1099 of 2019, Supreme Court, December 11, 2023, https://main.sci.gov.in/pdf/LU/article_370.pdf.

[27] Article 370, Constitution of India, https://lddashboard.legislative.gov.in/sites/default/files/COI...pdf.

[28] 'Parliament approves Resolution to abrogate Article 370; paves way to truly integrate J&K with Indian Union', Press Information Bureau, August 6, 2019, https://pib.gov.in/pressreleaseshare.aspx?prid=1581391.

[29] The Jammu and Kashmir Re-organisation Act, 2019, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_parliament/2019/Jammu%20and%20Kashmir%20Reorganisation%20Act,%202019.pdf.

[30] Report No. 140, "Appointment of Notaries", Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice, December 11, 2023, https://sansad.in/getFile/rsnew/Committee_site/Committee_File/ReportFile/18/191/140_2023_12_15.pdf?source=rajyasabha.

[31] The Provisional Collection of Taxes Bill, 2023, https://sansad.in/getFile/BillsTexts/LSBillTexts/PassedLoksabha/158_C_2023_LS_Eng12202023101326AM.pdf?source=legislation.

[32] The Provisional Collection of Taxes Act, 1931, https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/2392/1/A1931-16.pdf.

[33] The Central Goods and Services Tax (Second Amendment) Bill, 2023, https://sansad.in/getFile/BillsTexts/LSBillTexts/PassedLoksabha/159_C_2023_LS_Eng12202023101349AM.pdf?source=legislation.

[34] The Central Goods and Services Tax Act, 2017, https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/15689/1/A2017-12.pdf.

[35] Resolution of the Monetary Policy Committee (MPC), Monetary Policy Statement, 2023-24, December 8, 2023, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PressRelease/PDFs/PR1438ABAF9AA87F6345369F5B387E1749E0F7.PDF.

[36] Exposure Draft Product Regulations 2023, Insurance Regulatory and Development Authority of India, December 12, 2023, https://irdai.gov.in/web/guest/document-detail?documentId=4243364.

[37] Insurance Regulatory and Development Authority of India (Micro Insurance) Regulations, 2015, https://irdai.gov.in/document-detail?documentId=617801.

[38] Insurance Regulatory and Development Authority of India (Health Insurance) Regulations, 2016, https://irdai.gov.in/document-detail?documentId=602887.

[39] Insurance Regulatory and Development Authority of India (Unit Linked Insurance Products) Regulations, 2019, https://irdai.gov.in/document-detail?documentId=604874.

[40] Consultation paper on review of provisions of NCS Regulations and LODR Regulations for ease of doing business and introduction of fast track public issuance of debt securities, SEBI, December 9, 2023, https://www.sebi.gov.in/reports-and-statistics/reports/dec-2023/consultation-paper-on-review-of-provisions-of-ncs-regulations-and-lodr-regulations-for-ease-of-doing-business-and-introduction-of-fast-track-public-issuance-of-debt-securities_79762.html.

[41] SEBI (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021, https://www.sebi.gov.in/legal/regulations/jul-2023/web-upload-of-the-securities-and-exchange-board-of-india-issue-and-listing-of-non-convertible-securities-regulations-2021-last-amended-on-july-6-2023-_73664.html.

[42] SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, https://www.sebi.gov.in/legal/regulations/oct-2023/securities-and-exchange-board-of-india-listing-obligations-and-disclosure-requirements-regulations-2015-last-amended-on-october-23-2023-_78921.html.

[43] Draft Framework for Comments, Omnibus Framework for recognising Self-Regulatory Organisations (SROs) for Regulated Entities (REs) of the Reserve Bank of India, Reserve Bank of India, December 21, 2023, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PublicationReport/Pdfs/DRAFTOMNIBUSSRO7DD12CE1D89C423E9F62BC0422B08401.PDF.

[44] RBI invites comments on the 'Draft Omnibus Framework for recognising Self-Regulatory Organisations for its Regulated Entities', Reserve Bank of India, December 21, 2023, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PressRelease/PDFs/PR1519OMNIBUSSRO254DEA40598A429B98F2BFDB8314689B.PDF.

[45] Rationalisation of Licensing Framework for Authorised Persons (APs) under Foreign Exchange Management Act (FEMA), 1999, Reserve Bank of India, December 26, 2023, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PressRelease/PDFs/PR1543FEMAB569920F99BC416A8CF2EC0CCD369521.PDF.

[46] Review of Authorisation Framework under FEMA, Reserve Bank of India, December 26, 2023, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Content/PDFs/FEMALICENSINGFRAMEWORK14AEB46A5EB84D6CA0CC9C93C4438774.PDF.

[47] The Foreign Exchange Management Act, 1999, https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/1988/1/A1999_42.pdf.

[48] Money Changing Activities, Reserve Bank of India, as accessed on December 27, 2023, https://www.rbi.org.in/commonperson/English/Scripts/FAQs.aspx?Id=24.

[49] Consultation paper on 'Introduction of optional T+0 and optional Instant Settlement of Trades in addition to T+1 Settlement Cycle in Indian Securities Markets', Securities and Exchange Board of India, December 22, 2023, https://www.sebi.gov.in/reports-and-statistics/reports/dec-2023/consultation-paper-on-introduction-of-optional-t-0-and-optional-instant-settlement-of-trades-in-addition-to-t-1-settlement-cycle-in-indian-securities-markets-_80204.html.

[50] The Telecommunications Bill, 2023, https://egazette.gov.in/WriteReadData/2023/250880.pdf.

[51] The Indian Telegraph Act, 1885, https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/13115/1/indiantelegraphact_1885.pdf.

[52] The Indian Wireless Telegraphy Act, 1933, https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/15410/1/the_indian_wireless_telegraphy_act%2C_1933.pdf.

[53] The Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997, https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/1929/1/AA1997__24tele.pdf.

[54] The Press and Registration of Periodicals Bill, 2023, https://sansad.in/getFile/BillsTexts/RSBillTexts/PassedRajyaSabha/Press%20&%20registration-E842023111925AM.pdf?source=legislation.

[55] The Press and Registration of Books Act, 1867, https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/2272/3/AA1867-25.pdf.

[56] The Post Office Bill, 2023, December 18, 2023, https://sansad.in/getFile/BillsTexts/RSBillTexts/PassedRajyaSabha/EV%20Post%20Office%20Bill125202365314PM.pdf?source=legislation.

[57] The Indian Post Office Act, 1898, March 22, 1898, https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/2329/1/A1898-06.pdf

[58] The Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2023, Ministry of Commerce and Industry, August 11, 2023, https://sansad.in/getFile/BillsTexts/LSBillTexts/PassedBothHouses/Jan%20vishwas818202331041PM.pdf?source=legislation .

[59] Central Universities Amendment Bill, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_parliament/2023/Central_universities_(A)_bill,2023.pdf

[60] 'Research Based Education and Anusandhan Scenario in Sciences and Related Fields', Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sport, December 12, 2023, https://sansad.in/getFile/rsnew/Committee_site/Committee_File/ReportFile/16/189/358_2023_12_12.pdf?source=rajyasabha.

[61] Maritime Amrit Kaal Vision 2047, Ministry of Ports Shipping, and Waterways, December 2023, https://shipmin.gov.in/sites/default/files/Maritime%20Amrit%20Kaal%20Vision%202047%20%28MAKV%202047%29_compressed_0.pdf.

[62] Report no. 151, Standing Committee on Health and Family Welfare: 'Implementation of Ayushman Bharat', Rajya Sabha, December 19, 2023, https://sansad.in/getFile/rsnew/Committee_site/Committee_File/ReportFile/14/187/151_2023_12_19.pdf?source=rajyasabha

[63] Report No. 324, Standing Committee on Industry: 'Promotion of Electric Vehicles in the Country', Rajya Sabha, December 20, 2023, https://sansad.in/getFile/rsnew/Committee_site/Committee_File/ReportFile/17/190/324_2023_12_14.pdf?source=rajyasabha.

[64] Report No. 52, 'National Policy on Child Labour – An Assessment', Standing Committee on Labour Textiles and Skill Development, Lok Sabha, December 20, 2023, https://sansad.in/getFile/lsscommittee/Labour,%20Textiles%20and%20Skill%20Development/17_Labour_Textiles_and_Skill_Development_52.pdf?source=loksabhadocs.

[65] The National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second (Amendment) Bill, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_parliament/2023/NCT_of_Delhi_Laws_(Special_Provisions)_Second_(Amendment)_Bill_2023.pdf

[66] The National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second Act, 2011, https://lddashboard.legislative.gov.in/sites/default/files/A2011-20_0.pdf

[67] "Cabinet Committee on Economic Affairs approves reservation norms for Jute Packaging Materials for Jute Year 2023-24 under JPM Act, 1987", Cabinet Committee on Economic Affairs, Press Information Bureau, December 8, 2023, https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1984208.

[68] The Jute Packaging Materials (Compulsory Use In Packaging Commodities) Act, 1987, https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/1882/2/A1987-10.pdf.

[69] Report No. 46, 'Insecticides and Pesticides – Promotion and Development including Safe Usage: Licensing Regime for Insecticides', Standing Committee on Chemicals and Fertilizers, Lok Sabha, December 19, 2023, https://sansad.in/getFile/lsscommittee/Chemicals%20&%20Fertilizers/17_Chemicals_And_Fertilizers_46.pdf?source=loksabhadocs.

[70] Report no. 42, Standing Committee on Defence: 'A Review of the Working of the Defence Research and Development Organisation (DRDO)', Lok Sabha, December 20, 2023, https://sansad.in/getFile/lsscommittee/Defence/17_Defence_42.pdf?source=loksabhadocs.

[71] Report No. 27, Standing Committee on External Affairs: 'India's Engagement with G20 Countries', Lok Sabha, December 20, 2023, https://sansad.in/getFile/lsscommittee/External%20Affairs/17_External_Affairs_27.pdf?source=loksabhadocs.

[72] 26[th] Report: 'India and Gulf Cooperation Council (GCC) – Contours of Cooperation', Standing Committee on External Affairs, December 12, 2023, https://sansad.in/getFile/lsscommittee/External%20Affairs/17_External_Affairs_26.pdf?source=loksabhadocs.

[73] Report no. 23, Standing Committee on Petroleum and Natural Gas: 'Review of Policy on Import of Crude Oil', Lok Sabha, December 20, 2023, https://sansad.in/getFile/lsscommittee/Petroleum%20&%20Natural%20Gas/17_Petroleum_And_Natural_Gas_23.pdf?source=loksabhadocs.

[74] Scheme for engagement of Notified Private Exploration Agencies in Mineral Exploration directly through National Mineral Exploration Trust, Ministry of Mines, December 12, 2023, https://mines.gov.in/admin/storage/app/uploads/657aacdbd9b691702538459.pdf.

[75] The Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, https://ibm.gov.in/writereaddata/files/07102014115602MMDR%20Act%201957_10052012.pdf.

[76] Schedule of Charges for Projects Funded through National Mineral Exploration Trust, Ministry of Mines, March 31, 2020, https://nmet.gov.in/upload/uploadfiles/files/Schedule-of-Charges-(SoC)_NMET_Ministry-of-Mines.pdf.

[77] The Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Mineral) Concession (Second Amendment) Rules, 2023, Ministry of Mines, December 1, 2023, https://mines.gov.in/admin/storage/app/uploads/65698b88419221701415816.pdf.

[78] The Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Mineral) Concession Rules, 2016, Ministry of Mines, March 4, 2016, https://ibm.gov.in/writereaddata/files/10202016094948MCR_2016_18092016%20from%20SKS.pdf.

[79] G.S.R. 737(E), 'The Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Mineral) Concession (Amendment) Rules, 2023', The Gazette of India, Ministry of Mines, October 12, 2023, https://mines.gov.in/admin/storage/app/uploads/652cc16a446b81697431914.pdf.

[80] No. M. VI-1/7/2023-Mines VI, Ministry of Mines, December 26, 2023, https://mines.gov.in/admin/storage/app/uploads/658a8594434501703576980.pdf.

[81] The Offshore Areas Minerals (Development and Regulation) Act, 2002, https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/2040/3/A2003-17.pdf.

[82] S.O. 5408 (E), Ministry of Environment, Forest and Climate Change, eGazette, December 21, 2023, https://egazette.gov.in/WriteReadData/2023/250841.pdf.

[83] The Wild Life (Protection) Act, 1972, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/1726/1/a1972-53.pdf.

84 Report no. 37, Standing Committee on Food, Consumer Affairs and Public Distribution: "Initiatives in the North East in the field of Consumer Rights Protection", December 19, 2023, https://sansad.in/getFile/lsscommittee/Consumer%20Affairs,%20Food%20and%20Public%20Distribution/17_Consumer_Affairs_Food_and_Public_Distribution_37.pdf?source=loksabhadocs.

[85] Report no. 38, Standing Committee on Consumer Affairs, Food and Public Distribution: 'Functioning of Warehousing Development and Regulatory Authority (WDRA)', Lok Sabha, December 19, 2023, https://sansad.in/getFile/lsscommittee/Consumer%20Affairs,%20Food%20and%20Public%20Distribution/17_Consumer_Affairs_Food_and_Public_Distribution_38.pdf?source=loksabhadocs.

[86] CG-DL-E-09122023-250528, Central Motor Vehicles (Tenth Amendment) Rules, 2023, https://egazette.gov.in/(S(5ustc1n4azfrbln5bpo0q4fe))/ViewPDF.aspx.

[87] The Central Motor Vehicles Rules, 1989, https://transport.mizoram.gov.in/uploads/attachments/214c153eea3393c0981c3b1d6c5db394/cmvr-1989.pdf

[88] Motor Vehicles Act, 1988, https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/9460/1/a1988-59.pdf.

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।